रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3, 1978/ज्येष्ठ 13, 1900
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 1978/JYAISTHA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1978

का०आ० 1578—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 15-मन्नादीपेठ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सेलवारासु एस० लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सेलवारासु एस० को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० पांडिचेरी/वि०स०/15/77]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1978

S.O. 1578—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Belvarasu, S a contesting candidate for election to the 15 Mannadipeth assembly constituency, held in June, 1977 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure,

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Selvarasu, S to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No POND-I A/15/77]

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 1978

का०आ० 1579—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 30-हैदराबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुम्माकोंडा श्रीनिवास रेड्डी, मकान सं० 1-5 हैदरगुडा, डाकघर बहादुर-पुरा, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गुम्माकोंडा श्री निवास रेड्डी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आं०प्र०-लो०स०/30/77]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1978

S.O. 1579.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gummakonda Srinivasa Reddy, H. No. 1-5, Hyderguda, P.O. Bahadurpura, Hyderabad (Andhra Pradesh), a contesting candidate for the general election held in March, 1977 to the Lok Sabha from 30-Hyderabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas after considering the representation made by the candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gummakonda Srinivasa Reddy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-HP/30/77]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय)

नोटिस

नई दिल्ली, 20 मई, 1978

का०आ० 1580.—एतद्वारा, लेखा प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री ई० जे० बलसारा, एडवोकेट और सालिसिटर, एसप्लेनेड हाउस, वाडबी रोड, फोर्ट मुम्बई ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, पूरे भारत में लेखा प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति की लेखा प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें ।

[संख्या 22/32/78(न्याय)]

ल० द० हिन्दी, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 20th May, 1978

S.O. 1580.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri E. J. Balsara, Advocate and Solicitor, Esplanade House, Wavdby Road, Fort, Bombay-1 for appointment as a Notary to practise throughout India.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/32/78-Jus.]

L. D. HINDI, Competent Authority

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1978

आय-कर

का०आ० 1581:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए "वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन" के प्रवर्ग के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है ।

(1) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम का एक पृथक लेखा रखेगी ।

(2) यह कि संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप की एक वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 मई तक परिषद को ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो अधिकथित किए जाएं और इस प्रयोजन के लिए उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

धूनाबाला रिसर्च फाउण्डेशन, मुम्बई

यह अधिसूचना 4 जनवरी, 1978 से 3 जनवरी, 1980 तक दो वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 2186 (फा० सं० 203/19/78-आई टी० ए० 2]

पी० एन० शिंगन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th February, 1978

INCOME TAX

S.O. 1581.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

(i) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(ii) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 15th May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

POONAWALLA RESEARCH FOUNDATION, BOMBAY

This notification is effective for a period of two years from 4th January, 1978 to 3rd January, 1980.

[No. 2186/F. No. 203/19/78-ITA. II]

P. N. JHINGON, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1978

आय-कर

का०आ० 1582:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है ।

(1) यह कि प्रबन्ध विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा इस छूट के अधीन संग्रहीत निधियों का उपयोग एकमात्र समाज विज्ञान के अनुसंधान की उन्नति के लिए ही किया जाएगा ।

(2) यह कि प्रबन्ध विकास संस्थान इस के छूट अधीन संग्रह की गई निधियों का हिसाब अलग से रखेगा ।

(3) यह कि प्रबन्ध विकास संस्थान छूट के अधीन एकत्र की गई निधियों का और वह रीति जिसमें उनका उपयोग किया गया है दर्शित करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् को भेजेगा ।

संस्था

प्रबन्ध विकास संस्थान, नई दिल्ली

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 से प्रभावी रहेगी ।

[सं० 2216 (फा० सं० 203/8/78—आई०टी०ए० II)]

New Delhi, the 10th March, 1978

INCOME TAX

S.O. 1582.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

1. That the funds collected by the Management Development Institute, New Delhi, under this exemption will be utilised exclusively for promotion of research in Social Sciences.

2. That the Management Development Institute shall maintain separate accounts of the funds collected by them under the exemption.

3. That the Management Development Institute shall send an Annual Report to the Indian Council of Social Science Research New Delhi, showing the funds collected under the exemption and the manner in which the funds were utilised.

INSTITUTION

THE MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE, NEW DELHI

The notification will be effective from 1st April, 1978.

[No. 2216 (F. No. 203/8/78-ITA. II)]

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1978

आय-कर

का०आ० 1583:—इस विभाग की अधिसूचना सं० 1236 तारीख 19-2-76 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "चिकित्सा अनुसंधान संगठन" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(1) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगी ।

(2) उक्त संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबन्धी क्रिया-कलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 15 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाए ।

संस्था

कैलास सेवा सदन

यह अधिसूचना 19-2-1978 से 18-2-1980 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 2220 (फा० सं० 203/26/78—आई०टी०ए० II)]

New Delhi, the 15th March, 1978

INCOME TAX

S.O. 1583.—In continuation of this Department notification No. 1236 dated 19-2-76, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions:—

(i) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of Medical research.

(ii) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council of each financial year by 15th May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

KAILAS SEVA SADAN, BOMBAY.

This notification is effective for a period of two years from 19-2-1978 to 18-2-1980.

[No. 2220 (F. No. 203/26/78-ITA. II)]

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1978

आयकर

का०आ० 1584.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है ।

(1) यह कि कला क्षेत्र मद्रास द्वारा इस छूट के अधीन संग्रहीत निधियों का उपयोग एकमात्र समाज विज्ञान के अनुसंधान की उन्नति के लिए ही किया जाएगा ।

(2) यह कि संस्थान इस छूट के अधीन संग्रह की गई निधियों का हिसाब अलग से रखेगा ।

(3) यह कि संस्थान छूट के अधीन एकत्र की गई निधियों का और वह रीति जिसमें उनका उपयोग किया गया है दर्शित करते हुए एक वार्षिक समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् को भेजेगा ।

संस्था

कलाक्षेत्र, मद्रास

यह अधिसूचना 1-4-78 से 31-3-1981 तक 3 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी ।

[सं० 2261(फा० सं० 203/154/77-आई० टी० ए० II)]

New Delhi, the 11th April, 1978

INCOME TAX

S.O. 1584.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) The funds collected by the Kalakshetra Madras, under this exemption will be utilised exclusively for promotion of research in Special sciences.

(ii) that the Institute shall maintain separate accounts of the funds collected by them under the exemption.

(iii) That the Institute shall send a Annual Report to the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, showing the funds collected under the exemption and the manner in which the funds were utilised.

INSTITUTION

KALAKSHETRA, MADRAS.

This notification is effective for a period of 3 years from 1-4-78 to 31-3-1981.

[No. 2261 (F. No. 203/154/77-ITA. II)]

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1978

आय-कर

का०आ० 1585.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर नियम 1962 के नियम 6 (ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(1) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगा ।

(2) यह कि संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबन्धी क्रिया-कलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 19 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

राज्य योजना संस्थान, लखनऊ, उ० प्र०

यह अधिसूचना 14 मार्च, 1978 से 13 मार्च, 1980 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगी ।

[सं० 2269 (फा० सं० 203/58/78—आई० टी० ए० II)]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 14th April, 1978

INCOME TAX

S.O. 1585.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research subject to the folowing conditions :—

(i) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(ii) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 15th May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

THE STATE PLANNING INSTITUTE, LUCKNOW, U.P.

This notification is effective for a period of two years from 14th March, 1978 to 13th March, 1980.

[No. 2269 (F. No. 203/58/78-ITA. II)]

J. P. SHARMA, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई, 1978

बीमा

का०आ० 1586.—केन्द्रीय सरकार, विविध बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 29 दिसम्बर, 1972 के पृष्ठ 2094 से 2097 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व और

बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 771 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में पृष्ठ 2095 पर—

(1) स्तम्भ (1) में प्रथम पंक्ति में सर्व प्रथम आने वाले '39' अंकों का लोप किया जाएगा ।

(2) स्तम्भ (1) में 'धारा 133' प्रविष्टि और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)
"धारा 39	उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।"

(iii) पृष्ठ 2096 पर 'धारा 64 पक' प्रविष्टि के सामने स्तम्भ (2) की विद्यमान प्रविष्टियों को (2) के रूप में संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्याकित प्रविष्टि से पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:—

'(i) उपधारा (3) के खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा ।'

[फा० सं० 51(35)-बीमा 1/76)]

एस० रामानाथन, अपर सचिव (बीमा)

(Department of Economic Affairs)

New Delhi the 23rd May, 1978

INSURANCE

S.O. 1586.—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Central Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 771(E) dated the 29th December, 1972, published at pages 2092 to 2094 of the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 29th December, 1972, namely :—

In the Table below the said notification,—

(i) in column (1), the figures "39," appearing against the entry "Not applicable" shall be omitted;

(ii) after the entry "Section 33" in column (1) and the corresponding entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

(1)	(2)
"Section 39	Sub-section (4) shall be omitted";

(iii) the existing entry in column (2) against the entry "Section 64UB", shall be numbered as (ii) and before that entry so numbered the following shall be inserted, namely :—

(i) Clause (d) of Sub-section (3) shall be omitted.

[F. No. 51(35)-Ins. I/76]

S. RAMANATHAN, Additional Secy. (Insurance)

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग, प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1978

का० आ० 1587.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 और बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 के नियम 10 के उपबन्ध नवगांव सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, नवगांव, असम पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका संबंध इसके 30 जून, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखे तथा साथ ही साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होने से है।

[सं० एफ० 8-2/78-ए० सी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 16th May, 1978

S.O. 1587.—In exercise of the powers conferred by the section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act and Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the Nowgong Central Cooperative Bank Ltd., Nowgong, Assam in so far as they relate to the publication of its balance sheet, profit and loss account for the year ended the 30th June, 1977 together with the Auditor's report in a newspaper.

[No. F. 8-2/78-AC]

का० आ० 1588.—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध सागर कोआपरेटिव सप्लल बैंक लि०, सागर पर उसके द्वारा धारित सम्पत्तियों के संबंध में निम्नलिखित तारीखों समेत और तक लागू नहीं होंगे :—

गांव	जमीन का विवरण	जिस तारीख तक छूट मंजूर की गयी है ।
1	2	3
बिलउवा	12.70 एकड़	1-7-1978
तदेव	11.14 एकड़	1-3-1979
तदेव	10.32 एकड़	1-3-1979

[सं० एफ० 8-9/78-ए०सी०]

S.O. 1588.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Sagar Co-operative Central Bank Ltd., Sagar, in respect of the properties held by it upto and including the dates as under :—

Village	Particulars of land	Exemption granted upto
Bilauwa	12.70 acres	1-7-1978
-do-	11.14 acres	1-3-1979
-do-	10.32 acres	1-3-1979

[No. F. 8-9/78-AC]

का० आ० 1589:—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध हरदा कोआपरेटिव सप्लस बैंक लि० होशंगाबाद पर दिनांक 1 मार्च, 1979 समेत और तक उसके द्वारा पिपरिया में धारित सम्पत्ति (भवन) के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 8-9/78-ए०सी०]

S.O. 1589.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Harda Co-operative Central Bank Ltd., Hoshangabad, in respect of the property (building) held by it at Pipariya upto and including 1st March, 1979.

[No. F. 8-9/78-AC]

का० आ० 1590.—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध बांकुरा टाउन कोआपरेटिव बैंक लि०, बांकुरा, पश्चिम बंगाल, पर दिनांक 1 मार्च, 1978 से तीन वर्ष की अवधि के लिए वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उनका संबंध इस बैंक द्वारा बांकुरा की नगरपालिका की सीमा के भीतर केन्दुआडीही में अवस्थित दो बीघा जमीन सहित एक दो मंजिली इमारत की धारिता से है।

[सं० एफ० 8-9/78-ए०सी०]

S.O. 1590.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of Indja, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Bankura Town Co-operative Bank Ltd., Bankura, West Bengal in so far as they relate to its holding of a 2 storey building with 2 bighas of land situated at Kenduadihi within the limits of Bankura Municipality for a period of 3 years from 1st March, 1978 onwards.

[No. F. 8-9/78. A.C.

का० आ० 1591.—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के, उपबन्ध विदिशा सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, विदिशा मध्यप्रदेश पर दिनांक 1 मार्च, 1979 समेत और तक उसके द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर धारित सम्पत्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे :—

गांव	जमीन का विवरण
1 सिमरहार गांव	124.01 बीघा
2. कारोडिया-बगड	0 904 हैक्टेयर
3 पोरखेड़ी	4 504 हैक्टेयर
4. करखेड़ी	0.690 हैक्टेयर

[सं० एफ० 8-9/78-ए०सी०]

एम० पी० वर्मा, अवर सचिव

S.O. 1591.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Vidisha Central Co-operative Bank Ltd., Vidisha, Madhya Pradesh upto and including the 1st March 1979, in respect of the properties held by it at the undernoted places :—

Villages	Particulars of land
1. Simarhar Village	124.01 bighas
2. Karondia-bagad	0.904 hectares
3. Porukhedi	4.050 hectares
4. Karrakhedi	0.690 hectares

[No. F. 8-9/78-AC]

M. P. VARMA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

नई दिल्ली, 6 मई, 1978

New Delhi, 6th May, 1978

का० आ० 1592.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 3 फरवरी, को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S.O. 1592.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 3rd day of February, 1978.

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	8,81,09,000		सोने का सिक्का और बुलियन:— Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	8295,43,96,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	193,09,14,000	
			(ख) भारत से बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	1766 45,29,000	
			जोड़ Total		1959,54,43,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
		रुपये का सिक्का Rupee Coin	14,53,49,000
		भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities	6330,17,13,000
		देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper	..
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued	8304,25,05,000		
कुल देयताएं Total Liabilities	8304,25,05,000	कुल आस्तियां Total Assets	8304,25,05,000

दिनांक : 8 फरवरी, 1978
Dated the 8th day of February 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I. G PATEL, Governor

3 फरवरी, 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण
Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 3rd February, 1978

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	8,81,09,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	4,49,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,21,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल : Bills Purchased and Discounted:	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	140,10,13,000
जमा राशियां Deposits:		(ख) विदेशी (b) External	..
(क) सरकारी (a) Government		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	344,27,27,000
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	52,05,88,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया* Balances Held Abroad*	1714,57,70,000
(ii) राज्य सरकारें (ii) State Governments	13,58,56,000	निवेश** Investments**	983,00,53,000
(ख) बैंक : (b) Banks:		ऋण और अग्रिम : Loans and Advances to:	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	1757,07,69,000	(i) केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	..
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	24,79,23,000	(ii) राज्य सरकारों को@ (ii) State Governments@	149,40,89,000
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,97,69,000	ऋण और अग्रिम : Loans and Advances to:	
(iv) अन्य बैंक (iv) Other Banks	2,04,06,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को † (i) Scheduled Commercial Banks †	230,50,31,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को †† (ii) State Co-operative Banks ††	451,65,56,000
		(iii) दूसरों को (iii) Others	2,90,00,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
(ग) अन्य (c) Others	1811,65,41,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
देय बिल Bills Payable	175,95,33,000	(क) ऋण और अग्रिम: (a) Loans and Advances to:	
अन्य देयताएं Other Liabilities	663,89,38,000	(i) राज्य सरकारों को (i) State Governments	97,87,29,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	22,36,47,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	170,44,50,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,99,44,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Banks	127,44,96,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	605,07,69,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		अन्य आस्तियां Other Assets	976,49,70,000
रुपये Rupees	6033,03,23,000	रुपये Rupees	6033,03,23,000

दिनांक : 8 फरवरी, 1978

Dated the 8th day of February, 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर

I. G. PATEL, Governor

[U. O. No. F. 10/1/78 BOI]

नई दिल्ली, 8 मई, 1978
New Delhi, the 8th May, 1978

का०आ० 1593—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 10 फरवरी, को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S.O. 1593.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 10th day of February 1978.

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	15,91,36,000		सोने का सिक्का और बुलियन:— Gold Coin and Bullion (क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	193,09,14,000	
संचलन में नोट Notes in circulation	8422,41,51,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	1766,45,29,000	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		8438,32,87,000	जोड़ Total		1959,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		13,61,69,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6465,16,75,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएं Total Liabilities		8438,32,87,000	कुल आस्तियां Total Assets		8438,32,87,000

दिनांक : 15 फरवरी, 1978
Dated the 15th day of February 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I. G. Patel, Governor

10 फरवरी, 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण
Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, banking department as on the 10th February 1978

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid up	5,00,00,000	नोट Notes	15,91,36,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	4,38,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,44,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	144,92,61,000
जमाराशियां:— Deposits :—		(ख) विदेशी (b) External	
(क) सरकारी (a) Government			

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.
केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	475,01,12,000
राज्य सरकारें (ii) State Governments	10,22,85,000
(ख) बैंक (b) Banks	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	1434,48,97,000
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	24,75,31,000
गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,01,09,000
अन्य बैंक (iv) Other Banks	1,91,93,000
अन्य (c) Others	1799,03,41,000
देय बिल Bills Payable	182,10,39,000
अन्य देयताएं Others Liabilities	673,40,04,000
रुपये Rupees	114,95,11,00

आस्तियां Assets	रुपये Rs.
(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	473,00,70,000
विदेशों में रखा हुआ बकाया* Balances Held Abroad*	1700,12,88,000
निवेश** Investments**	901,95,58,000
ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :— केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	
राज्य सरकारों को@ (ii) State Governments @	196,54,73,000
ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :— अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† (i) Scheduled Commercial Banks†	187,07,14,000
राज्य सहकारी बैंकों को†† (ii) State Co-operative Banks††	449,80,44,000
दूसरों को (iii) Others	3,00,00,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(क) ऋण और अग्रिम :— (a) Loans and Advances to :— राज्य सरकारों को (i) State Governments	97,85,49,000
राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	22,23,44,000
केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks ..	
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	170,44,50,000
(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,91,04,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to state Co-operative Banks	127,00,16,000

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	605,50,99,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		अन्य आस्तियां Other Assets	1011,54,23,000
रुपये Rupees	6114,95,11,000	Rupees	रुपये 6114,95,11,000

दिनांक 15 फरवरी, 1978
Dated the 15th day of Febraray, 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I. G. Patel, Governor
[U.O. No. F. 10/1/78 BOI]

नई दिल्ली, 6 मई, 1978
Now Delhi, 6th May, 1978

का० आ० 1594.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 17 फरवरी, को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा ।

S.O. 1594.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 17th day of February, 1978.

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department . . .	8,53,29,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion .		
संचलन में नोट Notes in circulation . .	8410,12,56,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India . .	193,09,14,000	
		..	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India . . .		
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued . .		8418,65,85,000	विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities . .	1766,45,29,000	
			जोड़ Total . . .		1959,54,43,000

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSET	रुपये Rs.
		रुपये का सिक्का Rupee Coin . . .	13,94,30,000
		भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities . .	6445,17,12,000
		देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper	..
कुल देयताएं Total Liabilities . .	8418,65,85,000	कुल आस्तियां Total Assets . .	8418,65,85,000

दिनांक 22 फरवरी, 1978
Dated the 22nd day of February, 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I. G. PATEL, Governor

17 फरवरी, 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्य- कलाप का विवरण
Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 17th February, 1978

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up.	5,00,00,000	नोट Notes	8,53,29,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	6,26,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,77,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :— . .	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	152,11,13,000
जमाराशियां :— Deposits :—		(ख) विदेशी (b) External	..
(क) सरकारी (a) Government		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills . . .	928,32,98,000
केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	757,43,13,000	विदेशों मे रखा हुआ बकाया Balance Held Abroad	1713,20,68,000
राज्य सरकारें (ii) State Governments	9,18,35,000	निवेश:— Investments**	906,38,72,000
(ख) बैंक (b) Banks		ऋण और अग्रिम — Loans and Advances to :—	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks . .	1654,31,17,000	केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government . . .	..
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks .	27,80,24,000	राज्य सरकारों को@ (ii) State Governments@	221,85,16,000
गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,06,47,000	ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :—	
अन्य बैंक (iv) Other Banks	1,51,23,000	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† (i) Scheduled Commercial Banks† . .	219,65,68,000
(ग) अन्य (c) Others	1797,07,43,000	राज्य सहकारी बैंकों को†† (ii) State Co-operative Banks†† . .	456,54,20,000
देय बिल Bills Payable	177,86,41,000	दूसरों को (iii) Others	1,10,00,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
अन्य देयताएं Other Liabilities	678,12,19,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और अग्रिम :— (a) Loans and Advances to :— राज्य सरकारों को (i) State Governments	97,75,31,0000
		राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks . . .	21,98,34,000
		केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortage Banks . .	
		कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Re finance and Development Corporation	170,44,50,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortage Bank Debentures	7,91,04,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund . .	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Banks	126,47,62,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	605,39,61,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank . . .	
		अन्य आस्तियां Other Assets	997,56,33,000
रुपये Rupees . .	6635,36,62,000	रुपये Rupees . .	6635,36,62,000

दिनांक: 22 फरवरी 1978
Dated the 22nd day of February 1978

आई० जी० पटेल गवर्नर
I. G. PATEL, Governor
[U.O. F. No. 10/1/78 BOI]

का० आ० 1595.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 24 फरवरी, को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा
S.O. 1595.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 24th day of February, 1978

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department . . .	25,26,55,000		सोने का सिक्का और बुलियन:— Gold Coin and Bullion .		
			(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India . .	193,09,14,000	
सचलन में नोट Notes in circulation . .	8349,04,91,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India . .		

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.	रुपये Rs.
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued . .		8374,31,46,000	विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities . .	1766,45,29,000	
			जोड़ Total		1959,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin . . .		14,59,63,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities . . .		6400,17,40,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएं Total Liabilities . .		8374,31,46,000	कुल आस्तियां Total Assets . .		8374,31,46,000

दिनांक: 1 मार्च, 1978
Dated 1st day of March 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I. G. PATEL, Governor

24 फरवरी 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 24th February 1978

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	25,26,55,00
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	5,87,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,34,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	145,37,47,000
जमा राशियां:— Deposit :—		(ख) विदेशी (b) External	..
(क) सरकारी (a) Government		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills . . .	1138,31,74,000
केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	1215,98,80,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया* Balances Held Abroad*	1738,12,07,000
राज्य सरकारें (ii) State Governments .	7,97,81,000	निवेश** Investments**	959,64,15,000
(ख) बैंक (b) Banks		ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :—	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks . .	1512,75,01,000	केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	..
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks .	30,00,95,000	राज्य सरकारों को@ (ii) State Governments%	256,38,67,000

देयताएं Laibilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,01,80,000	ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :—	
(iv) अन्य बैंक (iv) Other Banks	1,67,20,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (i) Scheduled Commercial Banks	224,89,05,000
(ग) अन्य (c) Others	1784,53,13,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	468,65,85,000
देय बिल Bills Payable	202,94,52,000	(iii) दूसरों को (iii) Others	65,00,000
अन्य देयताएं Other Liabilities	685,42,14,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) ऋण और अग्रिम.— (a) Loans and Advances to :—	
		(i) राज्य सरकारों को (i) State Governments	97,72,22,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	21,99,53,000
		(iv) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	170,44,50,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,91,04,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Banks	122,77,51,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	605,89,61,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		अन्य आस्तियां Other Assets	9.89,15,19,000
रुपये Rupees	6973,31,36,000	रुपये Rupees	6973,31,36,000

[U. O. F. No. 10/1/78 BOI]

दिनांक : 1 मार्च, 1978
Dated the 1st day of March, 1978

आई०जी० पटेल, गवर्नर
I.G. PATEL Governor

नई दिल्ली, 8 मई, 1978
New Delhi, 8th May, 1978

का० आ०—1596 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 3 मार्च, को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा
S.O.1596—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 3rd day of March, 1978

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	11,36,53,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	8440,62,98,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	193,09,14,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		8451,99,51,000	विदेशी प्रतिभूतियाँ Foreign Securities	1766,45,29,000	
			जोड़ Total		1959,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		12,27,69,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ Government of India Rupee Securities		6480,17,39,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएं Total Liabilities		8451,99,51,000	कुल आस्तियाँ Total Assets		8451,99,51,000

दिनांक : 8 मार्च, 1978
Dated the 8th day of March, 1978

के० एस० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर
K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor

3 मार्च 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्य-कलाप का विवरण
Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 3rd March, 1978

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	11,36,53,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	4,38,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,07,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	145,01,51,000
जमाराशियाँ— Deposits :—		(ख) विदेशी (b) External	..
(क) सरकारी (a) Government.		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	1531,53,74,000
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	1285,43,88,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad	1820,16,41,000
		निवेश Investments	869,89,67,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
(ii) राज्य सरकारें		ऋण और अग्रिम:—	
(ii) State Governments	6,74,41,000	Loans and Advances to :—	
(ख) बैंक		(i) केन्द्रीय सरकार को	
(b) Banks		(i) Central Government	..
(iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंक		(ii) राज्य सरकारों को	
(i) Scheduled Commercial Banks . .	1873,41,16,000	(ii) State Governments	343,84,54,000
(i) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		ऋण और अग्रिम:—	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks .	25,00,31,000	Loans and Advances to :—	
(ii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,94,46,000	(i) Scheduled Commercial Banks . .	254,73,83,000
(iv) अन्य बैंक		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	
(iv) Other Banks	1,69,27,000	(ii) State Co-operative Banks . . .	470,61,87,000
(ग) अन्य		(iii) दूसरों को	
(c) Others	1783,77,98,000	(iii) Others	65,00,000
देय बिल		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
Bills Payable	206,86,29,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
अन्य देयताएं		(क) ऋण और अग्रिम:—	
Other Liabilities	752,97,86,000	(a) Loans and Advances to :—	
		राज्य सरकारों को	
		(i) State Governments	97,71,12 ,000
		राज्य सहकारी बैंकों को	
		(ii) State Co-operative Banks . . .	21,90,36,000
		केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	
		(iii) Central Land Mortgage Banks . .	..
		कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	
		(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	170,14,50,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,91,04,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों का ऋण और अग्रिम	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	122,46,87,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	605,89,61,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाड़ों/डिबेंचरों में निवेश	
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		अन्य आस्तियां	
		Other Assets	993,89,57,000
रुपये Rupees .	7467,85,62,000	रुपये Rupees . .	7467,85,62,000

[U.O.F. No. 10/1/78 BOI]

दिनांक मार्च 8, 1978
Dated the 8th day of March, 1978

के० एस० कृष्णास्वामी उप-गवर्नर
K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor

194GI/78—3

का० आ० 1597 — भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 10 मार्च, को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S.O. 1597.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 10th day of March, 1978

निर्गम विभाग

ISSUE DEPARTMENT

देयताएँ LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	12,66,08,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion		
सचलन में नोट Notes in circulation	8632,30,69,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	193,09,14,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	.	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issues		8644,96,77,000	विदेशी प्रतिभूतियाँ Foreign Securities	1766,45,29,000	
			जोड़ Total		1959,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		10,24,85,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6675,17,49,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएँ Total Liabilities		8644,96,77,000	कुल आस्तियाँ Total Assets		8644,96,77,000

दिनांक 15 मार्च, 1978
Dated the 15th day of March, 1978

के० एस० कृष्णस्वामी, उपगवर्नर
K. S. KRISHNASWAMY, *Dy. Governor*

10 मार्च, 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

STATEMENT OF THE AFFAIRS OF THE RESERVE BANK OF INDIA BANKING DEPARTMENT as on the 10th March, 1978

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	12,66,08,000
आरक्षित निधि Reserved Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	3,62,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	5,65,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :-	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,00,000	(क) देशी (a) Internal	147,47,19,000
		(ख) विदेशी (b) External	..
		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	1346,39,57,000

जमा राशियां :—	
Deposits:—	
(क) सरकारी	
(a) Government	..
केन्द्रीय सरकार	
(i) Central Government	14,99,43,54,000
राज्य सरकारें	
(ii) State Governments	10,04,22,000
(ख) बैंक	
(b) Banks	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
(i) Scheduled Commercial Banks	1472,29,28,000
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	26,93,01,000
गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,99,12,000
अन्य बैंक	
(iv) Other Banks	1,36,85,000
(ग) अन्य	
(c) Others	1775,06,02,000
देय बिल	
Bills Payable	216,12,37,000
अन्य देयताएँ	
Other Liabilities	762,52,20,000
रुपये	
Rupees	7295,76,61,000

विदेशों में रखा हुआ बकाया	
Balances Held Abroad*	1819,81,94,000
निवेश	
Inestments **	866,42,06,000
ऋण और अग्रिम :—	
Loans and Advances to:—	
केन्द्रीय सरकार को	
(i) Central Government	..
राज्य सरकारों का	
(ii) State Governments #	556,63,68,000
ऋण और अग्रिम :—	
Loans and Advances to:—	
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	
(i) Scheduled Commercial Banks†	214,92,53,000
राज्य सहकारी बैंकों को	
(ii) State Co-operative Banks‡	473,12,36,000
दूसरों को	
(iii) Others	65,00,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि से, ऋण अग्रिम और निवेश	
Loans, Advances and Investments from National Agricultrual Credit (Long Term Operations) Fund	
(क) ऋण और अग्रिम :—	
(a) Loans and Advances to:—	
राज्य सरकारों को	
(i) state Governments	97,69,91,000
राज्य सहकारी बैंकों को	
(ii) State Co-operative Banks	21,85,77,000
केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	
(iii) Central Land Mortgage Banks	..
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	
(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	169,54,50,000
(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,91,04,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
Loans and Advances to State Co-operative Banks	121,85,72,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
Loans, Advnaces and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
(a) Loans and Advances to the Development Bank	605,68,42,000
(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश	
(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	—
अन्य आस्तियां	
Other Assets	1033,01,57,000
रुपये	
Rupees	7295,76,61,000

[U.O. No. F. 10/1/78 BOI]

दिनांक 15 मार्च, 1978
Dated the 15th day of March, 1978

के० एस० कृष्णस्वामी, उपगवर्नर
K. S. KRISHNASWAMY, *Dy. Governor*

का०आ० 1598.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 17 मार्च, को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S.O. 1598.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT 1934 for the week ended the 17th day of March, 1978

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएँ LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	13,19,86,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Buillion (क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	193,09,14,000	
संचलन में नोट Notes in circulation	8646,35,64,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	—	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		8659,55,50,000	विदेशी प्रतिभूतियाँ Foreign Securities	1766,45,29,000	
			जोड़ Total		1959,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		9,82,57,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ Government of India Rupee Securities		6690,18,50,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएँ Total Liabilities		8659,55,50,000	कुल आस्तियाँ Total Assets		8659,55,50,000

दिनांक 19

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I. G. PATEL *Governor.*

Dated the 22nd day of March, 1978.

17 मार्च 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

STATEMENT OF THE AFFAIRS OF THE RESERVE BANK OF INDIA, BANKING DEPARTMENT

as on the 17 March, 1978

देयताएँ LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid Up	5,00,00,000	नोट Notes	13,19,86,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	4,75,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	6,04,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :— (क) देशी (a) Internal	144,78,39,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,00,000	(ख) विदेशी (b) External	..
		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	1836,37,87,000

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
जमाराशियां :— Deposits :—		विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad*	1865,12,60,000
(क) सरकारी (a) Government		निवेश Investments**	864,24,28,000
केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	2261,62,65,000	ऋण और अग्रिम Loans and Advances to:—	
राज्य सरकारें (ii) State Governments	5,38,67,000	केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	..
(ख) बैंक (b) Banks	..	राज्य सरकारों को (ii) State Governments@	555,83,03,000
अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	1449,05,19,000	ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to:—	
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	23,30,52,000	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (i) Scheduled Commercial Banks†	303,08,29,000
गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,01,67,000	राज्य सहकारी बैंक को (ii) State Co-operative Banks‡	470,28,87,000
अन्य बैंक (iv) Other Banks	1,52,76,000	दूसरों को (iii) Others	1,74,00,000
(ग) अन्य (c) Others	1778,09,79,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
देय बिल Bills Payable	227,28,78,000	(क) ऋण और अग्रिम:— (a) Loans and Advances to:—	
अन्य देयताएं Other Liabilities	833,48,71,000	राज्य सरकारों को (i) State Governments	97,53,07,000
		राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	21,58,84,000
		केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	..
		कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	165,99,50,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,91,04,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Banks	120,47,30,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Banks	605,85,20,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	—
		अन्य आस्तियां Other Assets	1037,65,81,000
रुपये Rupees	8111,78,74,000	रुपये Rupees	8111,78,74,000

[U.O.F. No. 10/1/78 BOI]

दिनांक 19
Dated the 22nd day of March 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I.G. PATEL, *Governor.*

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार में 1978 के दिनांक 24 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 24th day of March 1978

इशू विभाग

ISSUE DEPARTMENT

देयताएँ LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	23,28,52,000		सोने का सिक्का और बुलियन Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	8582,31,20,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	193,09,14,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		8605,59,72,000	विदेशी प्रतिभूतियाँ Foreign Securities	1766,45,29,000	
			जोड़ Total		1959,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		10,87,10,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ Government of India Rupee Securities		6635,18,19,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएँ Total Liabilities		8605,59,72,000	कुल आस्तियाँ Total Assets		8605,59,72,000

दिनांक 29 मार्च, 1978
Dated the 29th day of March 1978

आई० जी० पटेल गवर्नर
I.G PATEL, Governor

24 मार्च 1974 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

STATEMENT OF THE AFFAIRS OF THE RESERVE BANK OF INDIA, BANKING DEPARTMENT

as on the 24th March, 1974

देयताएँ LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital paid up	5,00,00,000	नोट Notes	23,28,52,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupees Coin	7,10,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	6,33,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted:—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,000,00	(क) देशी (a) Internal	132,68,38,000
जमा राशियां :— Deposits:—		(ख) विदेशी (b) External	—
(क) सरकारी (a) Government	..	(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	2436,37,36,000
केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	2472,00,20,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad*	1911,20,84,000
		निवेश Investments**	924,65,49,000

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
राज्य सरकारें		ऋण और अग्रिम :—	
(ii) State Governments	9,02,53,000	Loans and Advances to :—	
(ख) बैंक		केन्द्रीय सरकार को	
(b) Banks		(i) Central Government	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक		राज्य सरकारों को	
(i) Scheduled Commercial Banks	1823,90,14,000	(ii) State Governments	374,19,21,000
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	28,44,32,000	Loans and Advances to :—	
गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,07,54,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	318,62,69,000
अन्य बैंक		राज्य सहकारी बैंकों को	
(iv) Other Banks	1,49,43,000	(ii) State Co-operative Banks††	465,59,14,000
(ग) अन्य		दूसरों को	
(c) Others	1784,37,22,000	(iii) Others	2,99,00,000
देय बिल		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
Bills Payable	231,78,97,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
अन्य देयताएं		(क) ऋण और अग्रिम :—	
Other Liabilities	777,16,11,000	(a) Loans and Advances to :—	
		राज्य सरकारों को	
		(i) State Governments	96,11,37,000
		राज्य सहकारी बैंकों को	
		(ii) State Co-operative Banks	21,32,74,000
		केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को	
		(iii) Central Land Mortgage Banks	—
		कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	
		(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	165,29,50,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,91,04,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	118,91,77,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	606,85,21,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश	
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Banks	
		अन्य आस्तियां	
		Other Assets	1054,10,77,000
रुपये Rupees	8660,26,46,000	रुपये Rupees	8660,26,46,000

[UO No. F 10/1/78 BOI]

दिनांक 29 मार्च, 1978
Dated the 29th day of March, 1978.

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I. G. PATEL, Governor

का० आ० 1600.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में दिनांक 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा ।

S.O.1600.—An Account pursuant to the RESEVRE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 31st day of March, 1978.

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियाँ ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	13,48,38,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion		
संचलन में नोट Notes in circulation	8602,32,15,000		(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	193,09,14,000	
जारी किये गये कुल नोट Total Notes issued		8615,80,53,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
			विदेशी प्रतिभूतियाँ Foreign Securities	1766,45,29,000	
			जोड़ Total		1959,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		11,07,94,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ Government of India Rupee Securities		6645,18,16,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएँ Total Liabilities		8615,80,53,000	कुल आस्तियाँ Total Assets		8615,80,53,000

दिनांक अप्रैल 5, 1978
Dated the 5th day of April, 1978.

गवर्नर
I.G. PATEL, Governor

31 मार्च 1978 का भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 31st March, 1978

देयताएँ Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियाँ Assets	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid up		5,00,00,000	नोट Notes	13,48,38,000
आरक्षित निधि Reserve Fund		150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	7,11,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund		495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	6,65,000
राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund		165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :— (क) देशी (a) Internal	117,13,53,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund		715,00,00,000	(ख) विदेशी (b) External	..
जमा राशियाँ :— Deposits :—			(ग) सरकारी खज़ाना बिल (c) Government Treasury Bills	2691,68,59,000
(क) सरकारी (a) Government			विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Held Abroad*	2122,87,16,000
(i) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government		2759,91,02,000	निवेश Investments**	1069,56,00,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
(ii) राज्य सरकारें			ऋण और अग्रिम :—	
(ii) State Governments		11,22,44,000	Loans and Advances to :—	
(ख) बैंक			केन्द्रीय सरकार को	
(b) Banks			(i) Central Government	..
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक			राज्य सरकारों को	
(i) Scheduled Commercial Banks		1674,13,03,000	(ii) State Governments	290,42,73,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक			ऋण और अग्रिम —	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks		41,06,22,000	Loans and Advances to :-	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक			(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	
(iii) Non-scheduled State Co-operative Banks		2,17,59,000	(i) Scheduled Commercial Banks	331,36,28,000
(iv) अन्य बैंक			(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	
(iv) Other Banks		1,53,43,000	(ii) State Co-operative Banks	459,98,10,000
(ग) अन्य			(iii) दूसरों को	
(c) Others		1796,55,44,000	(iii) Others	1,10,00,000
देय बिल			राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
Bills Payable		394,39,89,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
अन्य देयताएँ			(क) ऋण और अग्रिम :—	
Other Liabilities		1003,05,25,000	(a) Loans and Advances to :—	
			(i) राज्य सरकारों को	
			(i) State Governments	111,16,43,000
			(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	
			(ii) State Co-operative Banks	21,28,37,000
			(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	
			(iii) Central Land Mortgage Banks	..
			(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	
			(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	163,59,50,000
			(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
			(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,91,04,000
			राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
			Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
			राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
			Loans and Advances to State Co-operative Banks	113,39,37,000
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
			Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
			(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
			(a) Loans and Advances to the Development Bank	613,84,71,000
			(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाँडों/डिबेंचरों में निवेश	
			(b) Investment in Bonds/debentures issued by the Development Bank	..
			अन्य आस्तियाँ	
			Other Assets	1085,10,36,000
रुपये			रुपये	
Rupees		9214,04,31,000	Rupees	9214,04,31,000

[U.O. No. F. 10/1/78 BOI]

दिनांक अप्रैल 5, 1978
Dated the 5th day of April, 1978.

आई० जी० पटेल, गवर्नर
I.G.PATEL, Governor

194 GI/78—5

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1978

का०आ० 1601.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में 1978 के दिनांक 7 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा ।

S.O.1601.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ended the 7th day of April 1978

निर्गम विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएँ Liabilities	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियाँ Assets	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	14,12,00,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— Gold Coin and Bullion		
			(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	193,09,14,000	
सचलन में नोट Notes in circulation	8884,58,43,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
जारी किए गये कुल नोट Total Notes issued		8898,70,43,000	विदेशी प्रतिभूतियाँ Foreign Securities	1866,45,29,000	
			जोड़ Total		2059,54,43,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		8,98,47,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ Government of India Rupee Securities		6830,17,53,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएँ Total Liabilities		8898,70,43,000	कुल आस्तियाँ Total Assets		8898,70,43,000

दिनांक 13 अप्रैल 1978
Dated the 13th day of April 1978

के० एस० कृष्णास्वामी उप-गवर्नर
K.S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor

7 अप्रैल 1978 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 7th April, 1978

देयताएँ Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियाँ Assets	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid up	5,00,00,000	नोट Notes	14,12,00,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	4,80,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	495,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	6,07,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	165,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल Bills Purchased and Discounted :—	
		(क) देशी (a) Internal	107,06,11,000
		(ख) विदेशी (b) External	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	715,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	2590,14,20,000
जमाराशियाँ — Deposits :—		विदेशों में रखा हुआ बकाया* Balances Held Abroad	2008,31,74,000
		निवेश** Investments	775,84,90,000
(क) सरकारी (a) Government		ऋण और अग्रिम :— Loans and Advances to :—	
केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	2435,97,56,000	केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	
राज्य सरकारें (ii) State Governments	10 44,93,000	राज्य सरकारों को(@) (ii) State Governments	520,29,88,000
(ख) बैंक (b) Banks		ऋण और अग्रिम — Loans and Advances to :—	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	1679,66,04,000	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (i) Scheduled Commercial Banks	175,32,01,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	33,90,87,000	राज्य सहकारी बैंकों को†† (ii) State Co-operative Banks	412,97,06,000
गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,13,18,000	दूसरों को (iii) Others	1,10,00,000
अन्य बैंक (iv) Other Banks	2,09,81,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(ग) अन्य (c) Others	1786,17,80,000	(क) ऋण और अग्रिम :– (a) Loans and Advances to :–	
देय बिल Bills Payable	287,97,37,000	राज्य सरकारों को (i) State Governments	111,14,91,000
अन्य देयताएं Other Liabilities	1009,45,74,000	राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	21,22,79,000
		केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	..
		कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	154,30,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	7,86,77,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम Loans and Advances to State Co-operative Banks	111,35,32,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (a) Loans and Advances to the Development Bank	613,84,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाँडों/डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		अन्य आस्तियाँ Other Assets	1152,80,03,000
रुपये Rupees	8777,83,30,000	रुपये Rupees	8777,83,30,000

* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।
Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है ।
Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

(i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं ।
Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 4,51,00,000 रुपये शामिल है ।
Includes Rs. 4,51,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

†† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।
Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

दिनांक 13 अप्रैल 1978
Dated the 13th day of April, 1978.

के० एस० कृष्णास्वामी, उप-गवर्नर
K.S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor
[U.O. F. No. 10/1/78 BOI]
च० य० मीरचन्दानी, अवर सचिव
C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय : इलाहाबाद

इलाहाबाद, 5 मई, 1978

का० आ० 1602 :—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173-जी के उप-नियम (4) के उप-वाक्य (सी) के अंतर्गत मुझे जो शक्तियां प्रदत्त की गई है उनका प्रयोग करते हुए मैं यह घोषित करता हूं कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 11/78 दिनांक 25-1-78 में विनिर्दिष्ट घोषित उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के मामले में उप-वाक्य (क) के अंतर्गत रखी गई सभी लेखा बहियों के संबंध में ऊपर बताये नियम के उप-वाक्य (ख) में जो कुछ कहा गया है उसके अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के अंतर्गत संबंधित प्रयोजन नियम के लिए उचित फार्म में समझा जायेगा बशर्ते कि ऐसे लेखे संबंधित फार्मों के अंतर्गत सभी आवश्यक सूचना रखते हों और किसी विशेष मामले से संबंधित यदि कोई सूचना कम पाई जाय तो उसे सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई हो ।

बशर्ते कि नीचे बताई गई वस्तुओं के मामले में यह सूचना सौंपे उन वस्तुओं के जिनके निर्माताओं का नाम उनके सामने लिखे गये हों —

1. टैरिफ मद संख्या 11 बी के मामले में वस्तुओं का उत्पादन मुख्य कच्चे माल के रूप में कूड खनिज तेल का इस्तेमाल करके किया जाता है।

2 टैरिफ मद संख्या 25, 26, 26ए, 26 ए ए, 26 बी, और 27 के मामले में वस्तुओं का उत्पादन किसी कारखाने में वर्जित धातु के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में खनिज का प्रयोग करते हुए किया जाय ।

3 टैरिफ मद संख्या 34 के मामले में उत्पन्न की गई वस्तु ट्रेलर के चेसीस (कारखाने में उत्पन्न किया जाये) ट्रेलर चेसीस के अलावा कोई अन्य हो ।

[अधिसूचना स० 3/78-के०उ०शु०/फ०सं०-पांच(16)/170 नीति/78/10351]

Central Excise Collectorate : Allahabad

Allahabad, the 5th May, 1978

S.O. 1602.—In exercise of the powers conferred on me under clause (c) of sub-clause (4) of Rule 173-G of the Central Excise Rules, 1944, I hereby declare that in respect of manufacturers of the declared excisable goods specified in Government of India Notification No. 11/78 dated 25-1-1978, all books of accounts maintained under clause (a) subject to what has been stated in clause (b) of the aforesaid rule, shall be deemed to be in the proper form for the respective purpose under the Central Excise Rules, provided such accounts contained all the necessary information prescribed under the statutory forms and in case any information with regard to material particular is found to be wanting the same is arranged to be incorporated therein.

Provided that in respect of commodities specified below this notification shall apply only to the manufacturers of goods indicated against them.

(i) in respect of tariff item No. 11B the goods are produced in a factory making use of crude mineral oil as the main raw material.

(ii) in respect of tariff item Nos. 25, 26, 26A, 26AA, 26 B and 27 the goods are produced in a factory making use of mineral ore as the main raw material for the production of the virgin metal, and

(iii) in respect of tariff item No. 34, the goods produced are other than trailer or chassis of the trailer exclusively produced in a factory

[Notification No. 3/78-CE/C. No. V(16)170-POL/78/10351]

का० आ० 1603.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम पांच के अंतर्गत मुझमे जो शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग करते हुए नीचे की सारिणी के कालम 2 में बताई गई श्रेणी के सभी अधिकारियों को इस बात के लिए शक्ति देता हूं कि वे उप सारिणी के कालम 3 में प्रत्येक के सामने लिखे गये नियमों के अंतर्गत उसी कालम 4 में निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन यदि कोई हों, अपने-अपने कार्य क्षेत्रों के भीतर समाहर्ता की शक्ति का प्रयोग करे ।

सारणी

क्रम सं०	अधिकारियों का पद नाम	के०उ०शु०नियमावली, 1944 का नियम	नियमों, प्रत्यायोजन यदि कोई हो
1	सहायक समाहर्ता	173-सी सी	जो माल वर्गीकरण या मूल्य सूचियों के अनुमोदन के विचाराधीन हो उसकी निकासी की अनुमति देना ।
2	अधीक्षक	173-जी(2)(7)	जब वस्तुओं पर देय ड्यूटियों को उप-नियम (1) में बताये गये चालू खाते में बाकी दिखा दे उसके बाद निर्धारी यह पाता है कि किसी गेट पास को कैन्सिल करना हो तो वह उसकी सूचना उपयुक्त अधिकारी को उस तारीख के बाद की आगामी तारीख तक दे देगा । जिस तारीख को कोई गेट पास रद्द किया जाता है और वह उसका उसी लेखे मे ड्यूटी जमा करने का लाभ ले सकता है।
3	निरीक्षक	173 जी(5)	इस्तेमाल लाने के पहले गेट-पास बही का अधिगृहित किया जाना ।

[अधिसूचना संख्या 4/78-के० उ०शु०/पत्र संख्या-पांच(16) 170-नीति/78/10352]

ए० एल० नन्दा, समाहर्ता

S.O. 1603.—In exercise of the powers vested in me under rule 5 of the Central Excise Rules 1944, I empower all the officers of the rank mentioned in Col. 2 of the table below to exercise within their respective jurisdiction the power of the Collector under the rules mentioned against each in Col. 3 of the said table, subject to the conditions and limitations, if any, indicated in Col 4 thereof.

TABLE

Sl. No	Designation of the officers	Rule of C. Ex. Rules, 1944	Extent of Limitation, Delegation if any
1.	Asstt. Collector	173-CC	Accord permission to assessee to remove goods pending approval of the classification for price lists.
2.	Superintendent	173G(2)(vii)	Where the assessee after he has debited the duties due on the goods in the a/c current referred to in sub-rule (i), finds it necessary to cancel any gate pass, he shall send an intimation thereof in writing to the proper officer not later than the working day next following the day on which such gate pass is cancelled and may there upon take credit if the duty in that account.
3.	Inspector	173-G(v)	Authentication of gate pass books before brought into use.

[Notification No. 4/78-CE/C. No. IV(16)170-POL/78/10352]

A. L. NANDA, Collector

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता का कार्यालय, पुणे

पुणे, 24 अप्रैल, 1978

सीमा शुल्क

का०आ० 1604.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खंड (क) के अधीन जारी की गई वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 79-सीमा शुल्क, फा० सं० 473/2/75-सीमाशुल्क-VII दिनांक 18 जुलाई, 1975 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के "दापोड़ी" नामक स्थान को "मालगोदाम केन्द्र" घोषित करता हूं।

[अधिसूचना सं० 8/सीमा शुल्क/78/फा०सं०-VIII (सीमा शुल्क) 40-22/टी ई/78]

जे० एम० वर्मा, समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क, पुणे

Office of Controller Customs & Central Excise, Pune

Pune, the 24th April, 1978

CUSTOMS

S.O. 1604.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with Ministry of Finance Notification No. 79-Customs F. No. 473/2/75-Cus. VII dated the 18th July, 1975, issued under clause (A) of Section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I hereby declare "Dapodi", in District Pune in the Maharashtra state, as a Warehousing Station.

[Notification No. 8/Cus./78/F. No. VIII (Cus.) 40-22/TE/78]

J. M. VERMA, Collector of Central Excise and Customs, Pune

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, अहमदाबाद

अहमदाबाद, 5 फरवरी, 1978

सीमाशुल्क

का० आ० 1605:—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) नई दिल्ली द्वारा जारी की गई दिनांक 18-7-75 की अधिसूचना सं० 79-सी०शु० फा० संख्या 473/2/75-सी०शु०-7 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं के० श्रीनिवासन, समाहर्ता, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, अहमदाबाद इसके द्वारा गुजरात राज्य में 'जामनगर शहर' को भाण्डागार स्थान (वैयर हाउसिंग स्टेशन) घोषित करता हूं।

[सं० 1/78—सी०शु०, फा०स० आई/40-8 सी०शु०/76]

के० श्रीनिवासन, समाहर्ता

Customs & Central Excise Collectorate, Ahmedabad

Ahmedabad, the 5th February, 1978

CUSTOMS

S.O. 1605.—In exercise of the powers conferred on me under section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with the Notification No. 79-Cus., F. No. 473/2/75-Cus. VII dated 18-7-75 issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), New Delhi, I, K. Srinivasan, Collector of Customs & Central Excise, Ahmedabad hereby declare "JAMNAGAR CITY" in the State of Gujarat to be a warehousing station.

[No. 1/78-Cus./F. No. VIII/40-8/Cus/76]

K. SRINIVASAN, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1978

का० आ० 1606—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व शुष्क बैटरियों की क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) सं० का० आ० 1858 तारीख, 4 जून, 1977 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य था, राजपत्र में आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 7 जून, 1977 को उपलब्ध करा दी गई है थी;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है :

अत:, अब, निर्यात (क्वालिट नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है:—

(1) अधिसूचित करती है कि शुष्क बैटरियां निर्यात से पूर्व (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) के अधीन होंगी।

(2) शुष्क बैटरियो का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1978 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसी शुष्क बैटरियों पर लागू होगा,

(3) भारतीय मानक संस्थान या विदेश के राष्ट्रीय मानकों द्वारा जारी किए गए विनिर्देशों को या अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत्-तकनीकी आयोग द्वारा जारी किए विनिर्देशों को शुष्क बैटरियो के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसी शुष्क बैटरियों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अभिकरणों मे से किसी अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि शुष्क बैरियों का परेषण इसकी क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात-योग्य है।

2 इस आदेश की कोई भी बात शुष्क बैटरियों के वास्तविक नमूनों के भूमि, समुद्र, या वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी।

3. इस आदेश मे 'शुष्क बैटरियां' से लैकलैंश प्रकार की शुष्क बैटरियां तथा परतदार बैटरियां अभिप्रेत है जो फ्लैश लाइट, ट्रांजिस्टर उपकरणों श्रवण सहायकों में, फोटो फ्लैश लैंपो तथा संचार उपकरण के चालन में प्रयुक्त होती है और जिसमें शुष्क सैल भी सम्मिलित है।

[सं० 6(24)/76-नि०नि० तथा नि० उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1978

S.O. 1606.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Dry Batteries to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) No. S.O. 1858 dated the 4th June, 1977 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within 45 days from the date of publication of the order in the Official Gazette.

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th June, 1977;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby:—

(1) notifies that Dry Batteries shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the types of inspection in accordance with the export of Dry Batteries (Quality Control and Inspection) Rules, 1978 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Dry Batteries prior to export;

(3) recognises the specifications issued by the Indian Standards Institution or National Standards of a foreign country or the specifications issued by International Electro-technical Commission for Dry Batteries as standard specifications;

(4) prohibit the export in the course of international trade of such Dry Batteries unless the same is accompanied by a certificate issued by any of the agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of Dry Batteries satisfies the conditions relating to its quality control and inspection and is exportworthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of bona fide samples of Dry Batteries.

3. In this order 'Dry Batteries' shall mean Leclanche type dry batteries as well as layer type of batteries used in applications such as flash lights, transistorized equipments, hearing aids, photoflash lamps and communication equipment and include dry cells.

[No. 6(24)/76-EI&EP]

का० आ० 1607.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शुष्क बैटरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं.—इन नियमों मे, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई तथा दिल्ली मे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है—

(ग) 'शुष्क बैटरियों', से लैकलैंश प्रकार की शुष्क बैटरियां तथा परतदार बैटरियां अभिप्रेत है, जो फ्लैश लाइट, ट्रांजिस्टर उपकरण, श्रवण सहायकों, फोटो फ्लैश लैम्पों तथा संचार उपकरणों [illegible] सम्मिलित है :

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण :—(1) शुष्क बैटरियों की क्वालिटी विनिर्माता द्वारा, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों सहित विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित की जाएगी।

(i) क्रय की गई सामग्री तथा संघटक :

(क) प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री या संघटकों के गुणधर्मों को समाविष्ट करते हुए, सह्यताओं सहित उनकी विस्तृत विभाएं तथा अन्य अपेक्षाएं जो लागू हों विनिर्माता द्वारा क्रय विनिर्देश में अधिकथित की जाएंगी।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए या तो प्रदाय कर्ता का परीक्षण प्रमाण-पत्र होगा, जिस दशा में विनिर्माता द्वारा पांच परेषणों में से कम से कम एक की कालिक जांच विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिए पूर्वोक्त परख प्रमाण-पत्र की शुद्धता सत्यापित करने के लिए की जाएगी या ऐसे परख-पत्रों की अनुपस्थिति में, क्रय विनिर्देश में इसकी अनुरूपता की जांच करने के लिए प्रत्येक परेषण में से नमूनों की नियमित रूप से परख की जाएगी।

(ग) निरीक्षण और परख किए जाने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण शुष्क बैटरियों के उपयुक्त पृथक्करण तथा निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएगी।

(घ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित की गई प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपस्कर तथा उपसाधनों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन को सुलभ बनाने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

(iii) उत्पाद नियंत्रण :

(क) विनिर्माता के पास मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पादन की परख करने के लिए या तो स्वयं अपनी परख सुविधाएं होंगी या जहां ऐसी परख सुविधाएं विद्यमान हों वहां तक उसकी पहुंच होगी।

(ख) उपरोक्त परीक्षण के संबंध में विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

(iv) पैकिंग नियंत्रण :

विनिर्माता निर्यात किए जाने वाले पैकेजों के लिए विस्तृत पैकिंग विनिर्देश अधिकथित करेगा तथा उसका कठोरता से पालन करेगा।

(2) निर्यात के लिए आशयित शुष्क बैटरियों का निरीक्षण इस दृष्टि से यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि उप-नियम (1) में उल्लिखित नियंत्रणों का सुसंगत स्तरों पर संतोषजनक रीति से प्रयोग किया गया है तथा शुष्क बैटरियां मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) (i) शुष्क बैटरियों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता या विनिर्माता संविदा विनिर्देशों के विवरण को उल्लिखित करते हुए लिखित रूप में अभिकरण को सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ एक घोषणा पत्र भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित शुष्क बैटरियों का परेषण नियम 3 में अधिकथित क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(ii) निर्यातकर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा।

(iii) परिषद् के पते निम्न प्रकार हैं :—

प्रधान कार्यालय :
निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर',
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (8वीं मंजिल)
कलकत्ता-700001.

क्षेत्रीय कार्यालय :
1. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'अमन चैम्बर्स' (पांचवी मंजिल)
113, महर्षि कर्वे रोड, बम्बई-4
2. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम,
कोचीन-11.
3. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग,
सरस्वती मार्ग, करौल बाग,
नई दिल्ली-5.

(2) निर्यातकर्ता या विनिर्माता अभिकरण को परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिह्न भी देगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा अभिकरण के कार्यालय में निर्यातकर्ता या विनिर्माता के परिसरों से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन कार्य दिवस पहले पहुंच जाएगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण अपना यह समाधान हो जाने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया गया है। तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेशों यदि कोई हो, का अनुसरण किया गया है तथा परेषण की मानक विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जैसा आवश्यक समझा जाए, और निरीक्षण या परीक्षण करने के पश्चात् तीन कार्य दिवस के भीतर प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात-योग्य है :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह उक्त तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा अपने ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यात कर्ता को देगा।

5. निरीक्षण शुल्क : प्रत्येक परेषण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए पर तीस पैसे की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में निर्यात-कर्ता द्वारा अभिकरण को दी जाएगी। यह फीस कम से कम पचास रुपए होगी।

6. निरीक्षण का स्थान : प्रत्येक निरीक्षण विनिर्माता या निर्यातकर्ता के परिसर पर या पोतलदान के पत्तन पर किया जाएगा।

7. अपील : (1) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इन्कार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई अशासकीय व्यक्ति सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

अनुसूची

[नियम 3 (1) देखिए]

नियंत्रण के स्तर

क्रम सं०	निरीक्षण या परख की विशेषताएं	अपेक्षाएं	नमूने का आकार	लॉट का आकार
1	2	3	4	5
1.	क्रय की गई सामग्री तथा संघटक			
	(क) कारीगरी फिनिश विमाएं—	उस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुसार	लेखबद्ध अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा	प्रत्येक लॉट
	(ख) अन्य अपेक्षाएं या परख	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
2.	कार्बन इलेक्ट्रोड एलाका की उत्केन्द्रीयता	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3.	प्रारंभिक वोल्टता परख	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
4.	पूर्ण बैटरियां			
	(क) कारीगरी, फिनिश विमाएं टर्मिनल चिन्हन प्रारम्भिक वोल्टता तथा प्रारम्भिक अवस्था परख	यथोक्त	बेलनाकारों के 2 नग तथा अबेलनाकार के लिए 1 नग	उसी प्रकार तथा डिजाइन की बैटरियों का चार घंटे का उत्पादन
	(ख) शुष्क उष्मा की अवस्थाओं के अन्तर्गत विलम्बित अवस्था	यथोक्त	10 नग	उसी प्रकार तथा डिजाइन की बैटरियों के लिए छह मास में एक बार उसी डिजाइन के लिए वर्ष में एक बार
	(ग) शेल्फ अवस्था परख	यथोक्त	10 नग	

[सं० 6(24)/76 नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O. 1607.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act. 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Export of Dry Batteries (Quality Control and Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) 'agency' means any one of the agencies established by the Central Government at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Act;

(c) 'Dry Batteries' means Laclanche type dry batteries as well as Layer type of batteries used in applications such as Flashlights, transistorized equipments hearing aids, photoflash lamps and communication equipments and include dry cells.

3. Quality Control and Inspection.—(1) The quality of dry batteries shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture together with the levels of control specified in the Schedule attached to these rules namely :—

(i) Bought out materials and components :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used, detailed dimensions thereof with tolerances and other requirements as applicable.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test certificate corroborating the requirements of the purchase specification in which case occasional check, at least one out of five consignments, shall be conducted by the manufacturer for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test certificate, or in the absence of such test certificates, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specification.

(c) After the inspection and tests are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(d) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control :

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for various processes of manufacture ;

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacture to enable the verification of the controls exercise during the process of manufacture.

(iii) Product Control :

(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specifications.

(b) Adequate records in respect of the above test shall be systematically maintained by the manufacturer.

(iv) Packing Control :

The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and would strictly adhere to the same.

(2) The inspection of dry batteries intended for export shall be carried out with a view to seeing that the controls, mentioned in sub-rule (1) have been exercised at the relevant levels satisfactorily and the dry batteries conform to the standard specifications.

4. Procedure of Inspection.—(1) (i) The exporter or manufacturer intending to export a consignment of dry batteries shall give intimation in writing to the agency indicating the details of the contractual specification and submit along with such intimation a declaration that the consignment of dry batteries intended for export has been manufactured by exercising quality controls laid down in rule 3, and that the consignment conforms to the requirements of the specification recognised for this purpose.

(ii) The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Council.

(iii) The addresses of the Council are as under :—

Head Office : Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Exra Street (7th floor), Calcutta-700001.

Regional Offices : 1. Export Inspection Council Aman Chambers (4th floor) 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4.

2. Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-11.

3. Export Inspection Council Municipal Market Building, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-5.

(2) The exporter or manufacturer shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than 3 working days prior to the despatch of the consignments from the exporter's or manufacturer's premises.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1) the agency, on satisfying itself that during the process of manufacture, adequate quality controls, specified under rule 3 have been exercised and the instructions, if any, issued by the Council in this regard have been followed and after further inspection or testing as considered necessary to ensure conformity of the consignment to the standards specifications shall within three working days issue a certificate that the consignment satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is exportworthy :

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Inspection Fee.—Subject to a minimum of rupees fifty for each consignment a fee at the rate of thirty paise for every hundred rupees of f.o.b. value shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

6. Place of Inspection.—Every inspection shall be carried out at the premises of the manufacturer or exporter or at the port of shipment.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The Panel shall consist of at least two-thirds of non-officials of the total membership of the Panel of Experts.

(3) The quorum for the Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

SCHEDULE

[See rule 3 (1)]

LEVELS OF CONTROL

Sl. No.	Particulars of Inspection or Test	Requirement	Sample Size	Lot Size
1.	Bought out materials and components			
	(a) Workmanship, finish dimensions	As per standard specifications recognised for the purpose	To be fixed on the basis of recorded investigation	Each lot
	(b) Other requirements or tests	—do—	—do—	—do—
2.	Eccentricity of carbon rod electrode	—do—	—do—	—do—
3.	Initial voltage test	—do—	—each—	—do—
4.	Finished Batteries			
	(a) Workmanship, finish dimensions, terminals marking, initial voltage	—do—	2 nos. for cylindrical types and 1 no. for non-cylindrical type	4 hours production of batteries of same type and design
	(b) Delayed life under dry heat conditions	—do—	10 nos.	Once in 6 months for batteries of same type and design.
	(c) Shelf life test	—do—	10 nos.	Once in a year for the same design.

[No. 6 (24)/76—EI&EP]

आदेश

का० आ० 1608:—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए बिजली के लैंप और ट्यूबों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1556, तारीख 28 मई, 1977 में प्रकाशित किए गए थे ;

और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, 10 अगस्त, 1977 तक आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 31 मई, 1977 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,—

(1) अधिसूचित करती है कि बिजली के लैंप तथा ट्यूबें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी ;

(2) बिजली के लैंप तथा ट्यूबों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 के अनुसार, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे बिजली के लैंप तथा ट्यूबों पर लागू होगा ;

(3) उन विनिर्देशों को जो भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक या अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत् तकनीकी आयोग की सिफारिश या मानक मान्य संस्था मानक होंगे, बिजली के लैंप तथा ट्यूबों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान बिजली के ऐसे लैंप तथा ट्यूबों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि बिजली के लैंप तथा ट्यूबों का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश में 'बिजली के लैंप तथा ट्यूब' से सभी प्रकार के उद्दीप्त लैंप, मर्करी वेपर, निआॅन (आदि) लैंप अभिप्रेत हैं।

3. इस आदेश की कोई भी बात, भावी क्रेताओं को बिजली के लैंप तथा ट्यूबों के वास्तविक नमूनों के भूमि, वायु या समुद्र मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी।

[सं० 6(31)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

ORDER

S.O. 1608.—Whereas for the development of the Export of India, certain proposals for subjecting Electric Lamps and Tubes to Quality Control and Inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 28th May, 1978 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1556, dated the 28th May, 1977.

And whereas objections and suggestions were invited till 10th August, 1977, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 31st May, 1977;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export Trade of India, hereby,—

(1) notifies that Electric Lamps and Tubes shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Electric Lamps and Tubes (Quality Control and Inspection) Rules, 1978, as the type of quality control and inspection which shall be applied to such electric Lamps and Tubes prior to export ;

(3) recognises the specifications which shall be Indian or any other national standards of International Electro-technical Commission recommendations or standards, recognised association standards as the standard specifications for Electric Lamps and Tubes;

(4) prohibits the export, in the course of international trade, of such Electric Lamps and Tubes unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the consignment of Electric Lamps and Tubes satisfied the conditions relating to quality control and inspection and is exportworthy.

2. In this Order 'Electric Lamps and Tubes" shall mean all types of incandescent, fluorescent lamps, mercury vapour, neo (etc.) lamps.

3. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air, of bonafide samples of Electric Lamps and Tubes to prospective buyers.

[No. 6(31)/76-EI&EP]

का० आ० 1609.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिजली के लैंप तथा ट्यूबों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई तथा दिल्ली में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'बिजली के लैंप' तथा ट्यूब से सभी प्रकार के उद्दीप्त, प्रति-दीप्त लैंप, मर्करी वेपर, निआॅन (आदि) लैंप अभिप्रेत हैं ।

3. क्वालिटी नियंत्रण—

निर्यात के लिए आशयित बिजली के लैंप तथा ट्यूबों की क्वालिटी इससे उपबन्धित सारणी में दिए गए नियंत्रण के स्तरों सहित विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित की जाएगी, अर्थात्:—

(1) क्रय की गई सामग्री तथा घटकों का नियंत्रण :—

(क) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों की विशेषताओं को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा क्रय विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे तथा उसके पास आने वाले लॉटों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण या परख के पर्याप्त साधन होंगे ।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए प्रदायकर्ता का परख या निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा, ऐसी दशा में विनिर्माता द्वारा निरीक्षण प्रमाण-पत्रों पर पूर्वोक्त परीक्षण की शुद्धता सत्यापित करने के लिए विशिष्ट प्रदाय-कर्ता के लिए कालिक जांच (अर्थात् वर्ष में हर तीन मास में एक बार उसी माल की उसी प्रदाय-कर्ता के लिए कालिक जांच की जाएगी अथवा सामग्री या घटकों की या तो कारखाने की प्रयोगशाला में या किसी अन्य प्रयोगशाला में या परख गृह में नियमित रूप से निरीक्षण या परख की जाएगी ।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परख के लिए नमूने का लिया जाना लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(घ) निरीक्षण या परख किए जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत माल या घटकों के पृथक्करण के लिए तथा अस्वीकृत माल या घटकों के निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी ।

(ङ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे ।

(2) प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) विनिर्माता द्वारा विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) प्रक्रिया-विनिर्देश में यथा अधिकथित प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपस्कर, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त होंगी ।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों की सत्यता की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे ।

(3) उत्पाद नियंत्रण :

(क) विनिर्माता के पास अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की परख करने के लिए या तो स्वयं की पर्याप्त परख सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान हों ।

(ख) परख के लिए नमूने का लिया जाना (जहां कहीं भी अपेक्षित हो) लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(ग) किए गए परीक्षणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे ।

(4) परिरक्षण नियंत्रण :

(क) उत्पाद को मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) भंडारकरण और अभिवहन, दोनों के दौरान उत्पाद अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा ।

(5) मौसम संबंधी नियंत्रण :

उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त प्रमापों और उपकरणों की कालिक जांच या अंशशोधन किया जाएगा तथा विनिर्माता द्वारा अभिलेख वृत्तकार्ड के रूप में रखे जाएंगे ।

(6) पैकिंग नियंत्रण :

विनिर्माता निर्यात किए जाने वाले पैकेजों के लिए विस्तृत पैकिंग विनिर्देश अधिकथित करेगा और उनका कठोरता से पालन करेगा ।

4. निरीक्षण का आधार—

निर्यात के लिये आशयित बिजली लैंप तथा ट्यूबों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करके कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान, नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट क्वालिटी नियंत्रण परिमापों का प्रयोग किया गया है यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है ।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया—

(1)(1) निर्यात-कर्ता किसी भी अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ एक घोषणा-पत्र भी देगा कि बिजली के लैंप तथा ट्यूबों का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट नियंत्रणों के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण परिमापों का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है या किया जा रहा है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

(2) निर्यात-कर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा ।

(3) परिषद् के कार्यालयों के पते इस प्रकार हैं :

प्रधान कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड' ट्रेड सेन्टर (आठवीं मंजिल) 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-700001
क्षेत्रीय कार्यालय	(1) निर्यात निरीक्षण परिषद् अमन चैम्बर्स (पांचवीं मंजिल) 113, महर्षि कर्वे रोड, बम्बई-400004
	(2) निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंगस, महात्मा गांधी रोड़ एर्नाकुलम कोचीन-682011
	(3) निर्यात निरीक्षण परिषद् म्यूनिसिपल मार्केट बिल्डिंग, सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.

(2) निर्यात-कर्ता अभिकरण को परेषण पर लगाया जाने वाला पहचान चिन्ह भी देगा ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा विनिर्माता के परिसर से या निर्यात-कर्ता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुंचेगी ।

(4) उप-नियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण,—

(क) ऐसे निर्यात-कर्ता की दशा में जो स्वयं विनिर्माता है, अपना यह समाधान कर लेने पर कि उसने विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसको लागू मा नक

विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए नियम 3 में यथा उपबन्धित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हों, का प्रयोग किया है ।

(ख) ऐसे निर्यातकर्ता की दशा में स्वयं विनिर्माता नहीं है, अपना यह समाधान कर लेने पर कि उसने विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसका लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए नियम 3 में यथा उपबंधित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हों, का प्रयोग किया है,

निरीक्षण करने के सात दिन के भीतर यह घोषणा करते हुऐ प्रमाण-पत्र दे देगा कि बिजली के लैंप तथा ट्यूबों का परेषण निर्यात योग्य है :

परन्तु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहाँ सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके लिए कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा ।

(5) (i) उप-नियम (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण तुरन्त ही परेषण के पैकेजों को यह सुनिश्चित करने के लिए इस ढंग से मोहरबंद करेगा कि मोहरबंद किए हुए माल के साथ छेड़-छाड़ न की जा सके ।

(ii) परेषण की अस्वीकृति की दशा में यदि निर्यात-कर्ता चाहता है तो, परेषण अभिकरण द्वारा मोहरबंद नहीं किया जाएगा, किन्तु ऐसी दशा में निर्यात-कर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

6 **निरीक्षण का स्थान**—

इन नियमों के प्रयोजन के लिए बिजली के लैंप तथा ट्यूबों का निरीक्षण केवल विनिर्माता के परिसर पर ही किया जाएगा ।

7. **निरीक्षण फीस**—

ऐसे प्रत्येक परेषण के लिए पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए के लिए तीस पैसे की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को दी जाएगी । यह फीस कम से कम पचास रुपए होगी ।

8. **अपील**—

(1) नियम 5 के उप-नियम (4) के अधीन प्रमाण-पत्र देने के इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर अपील कर सकेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य अशासकीय व्यक्ति होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों की होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

सारणी

नियंत्रण के स्तर

(नियम 3 देखिए)

क्रम सं०	निरीक्षण या परख की विशिष्टियां	अपेक्षताएं	नमूने का आकार	लॉट का आकार
1	2	3	4	5
1. क्रय की गई सामग्री तथा घटक				
	(क) दृष्टि निरीक्षण जिसमें कारीगरी तथा फिनिश सम्मिलित हैं	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	—
	(ख) सहन सहित विमाएं			
	(i) क्रानिक . . .	यथोक्त	प्रत्येक	—
	(ii) अन्य . . .	यथोक्त	लेखबद्ध अन्वेषण के आधार पर नियत किया जाएगा	प्रत्येक लॉट
	(ग) रसायन . . .	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(घ) विद्युत विशेषताओं को समाविष्ट करते हुए कोई अन्य अपेक्षा	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
11. विनिर्मित घटक तथा उपसमंजन				
	(क) दृष्टि निरीक्षण जिसमें कारीगरी तथा फिनिश सम्मिलित है	यथोक्त	प्रत्येक	—
	(ख) सहन सहित विमाएं			
	(i) क्रानिक	यथोक्त	प्रत्येक	—
	(ii) अन्य . .	यथोक्त	लेखबद्ध अन्वेषण के आधार पर नियत किया जाएगा	— प्रत्येक लॉट
	(ग) विनिर्माणकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए रसायन मिश्रण का भौतिक मिश्रण	यथोक्त	यथोक्त	प्रत्येक लॉट
	(घ) भाप का तापानुशीतन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5
	(ङ) मोहर बन्द किए जाने की लम्बाई	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुसार	लेखबद्ध अन्वेषण के आधार पर नियम किया जाएगा	प्रत्येक लॉट
	(च) भरने योग्य दाग	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(छ) ढक्कन लगाने के बाद पूरी लम्बाई	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(ज) जरण अनुसूची	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(झ) कोई अन्य अपेक्षाएं . .	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
(iii) उत्पादन नियंत्रण या अन्तिम परखें				
	(क) कारीगरी तथा फिनिश .	यथोक्त	प्रत्येक	—
	(ख) मरोड़ परख . .	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(ग) प्रारम्भिक जरण के पश्चात् विद्युत शक्ति की मात्रा की दर सहित अव कालिका परख	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(घ) बिजली निकालने वाले लैम्पों के लिए प्रारम्भिक अपेक्षा परखें	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(ङ) विद्युत रोधन की प्रतिरोध परख	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(च) विद्युत केन्द्र परख	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(छ) प्रतिरोध के लिए परख केवल बिना स्टार्टर के जलने वाले लैम्पों के लिए	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(ज) रंग समन्वय परख . .	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	(झ) अवस्था परख	यथोक्त	3 नग	उत्पादन के प्रत्येक बैच से

[सं० 6(31)/76 नि० नि० तथा नि०उ०]

S.O. 1609.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Export of Electric Lamps and Tubes (Quality Control and Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "agency" means any one of the agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Act;

(c) "Electric Lamps and Tubes" shall mean all types of incandescent, fluorescent lamps, mercury vapour, Neon (etc.) lamps.

3. Quality Control :

The quality of the Electric Lamps and Tubes intended for export shall be ensured by effecting the following controls at different stages of manufacture together with the levels of control as given in the Table annexed hereto, namely :—

(i) Bought-out materials and components control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and shall have adequate means of inspection or testing to ensure conformity of the incoming lots.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test or inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specification in which case occasional checks (that is to say once in each quarter of the year for the same supplier of the same material) shall be conducted by the manufacturer for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test on inspection certificates, or the materials or components shall be regularly inspected or tested either in a laboratory in the factory or in some other laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on a recorded investigation.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and in disposal of rejected materials or components.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipments, instrumentation and facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control

(a) The manufacturer shall either have his own adequate testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(iv) Preservation Control

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

(b) The product shall be well preserved both during storage and transit.

(v) Meteorological Control.

Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained by the manufacturer in the form of history cards.

(vi) Packing Control

The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and would strictly adhere to the same.

4. Basis of Inspection :

Inspection of Electric Lamps and Tubes intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by ensuring that during the process of manufacture the quality control measures as specified in rule 3 have been exercised.

5. Procedure of Inspection :

(1) (i) The exporter shall give intimation in writing to any agency and submit alongwith such intimation a declaration that the consignment of Electric Lamps and Tubes has been or is being manufactured by exercising quality control measures as per controls referred to under rule 3 and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for the purpose.

(ii) The exporter at the same time shall endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Council.

(iii) The address of the Council offices are as under :

Head Office : Export Inspection Council,
'World Trade Centre',
14/1B, Ezra Street (7th Floor),
Calcutta-700001.

Regional Offices :

(i) Export Inspection Council,
Aman Chambers (4th floor),
113, M-Karve Road,
Bombay-400004.

(ii) Export Inspection Council,
Manohar Buildings,
Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam
Cochin-682011.

(iii) Export Inspection Council,
Municipal Market Building,
Saraswati Marg,
Karol Bagh
New Delhi-110005.

(2) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises or exporter's premises.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1) the agency shall—

(a) in case of an exporter who himself is the manufacturer, on satisfying itself that during the process of manufacture he had exercised adequate quality control as provided under rule 3, and the instructions if any, issued by the Council in this regard manufactured the product according to the standard specifications applicable to it;

(b) in case of an exporter who is not himself the manufacturer on satisfying itself that during the process of manufacture had exercised adequate quality control as provided under rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard, to manufacture the product according to the standard specifications applicable to it;

(c) within seven days of carrying out inspection, issue a certificate declaring the consignment of Electric Lamps and Tubes as exportworthy :

Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons therefor.

(5) (i) in the case referred to in clause (b) of sub-rule 4, after completion of inspection the agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with.

(ii) in case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency and in such case, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

6. Place of Inspection :

Inspection of Electric Lamps and Tubes for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the manufacturer only.

7. Inspection Fee :

A fee at the rate of thirty paise for every hundred rupees of F.O.B. value subject to a minimum of rupees fifty for each consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

8 Appeal :

(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule 4 of rule 5, may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the Panel of Experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

TABLE

(The levels of Control)

(See rule—3)

Sl. No.	Particulars of inspection or test	Requirement	Sample size	Lot size
1	2	3	4	5
1.	Boughtout materials and components :			
	(a) Visual inspection (including workmanship and finish)	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
	(b) Dimensions with tolerances			
	(i) Critical	—do—	Each	—
	(ii) Others	—do—	To be fixed on the basis of recorded investigation.	Each lot
	(c) Chemicals	—do—	—do—	—do—
	(d) Any other requirement including the electrical characteristics	—do—	—do—	—do—
II.	Manufactured components and sub-assembly :			
	(a) Visual inspection (including workmanship and finish)	—do—	Each	—
	(b) Dimensions with tolerances			
	(i) Critical	—do—	Each	—
	(ii) Others	—do—	To be fixed on the basis of recorded investigation	Each lot
	(c) Physical mixture of chemical compounds prepared by manufacturers	As per standard specification recognised for the purpose.	—do—	Each lot
	(d) Annealing of stem	—do—	—do—	—do—
	(e) Sealing length	—do—	—do—	—do—
	(f) Branding delibility	—do—	—do—	—do—
	(g) Overall length after caping	—do—	—do—	—do—
	(h) Ageing schedule	—do—	—do—	—do—
	(j) Any other requirement	—do—	—do—	—do—
III.	Product Control or Final Tests :			
	(a) Workmanship and finish	—do—	Each	—
	(b) Torsion test	—do—	To be fixed on the basis of recorded investigation	Each lot
	(c) Lumen test after initial ageing including wattage rating	—do—	—do—	—do—
	(d) Starting requirements tests for discharge lamps	As per standard specification recognised for the purpose.	—do—	—do—
	(e) Insulation resistance test	—do—	—do—	—do—
	(f) Light centre test	—do—	—do—	—do—
	(g) Test for Cathode resistance for lamps operated without starters only)	—do—	—do—	—do—
	(h) Colour co-ordinate test	—do—	—do—	—do—
	(i) Life test	—do—	3 nos.	From each batch of production

[No. 6 (31)/76—EI&EP]

आदेश

का०आ० 1610.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए वैल्डिंग इलेक्ट्रोड को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का०आ० 1271, तारीख 30 अप्रैल, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 30 अप्रैल, 1977 में प्रकाशित किए गए थे, और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालिस दिनों के भीतर आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे :

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 मई, 1977 को उपलब्ध कर दी गई थी :

और जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है :

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है—

(1) अधिसूचित करती है कि वैल्डिंग इलैक्ट्रोड निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन होंगे।

(2) वैल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम 1978 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे वैल्डिंग इलैक्ट्रोड पर लागू होगा :

(3) भारतीय मानक संस्थान या विदेश के राष्ट्रीय मानकों द्वारा जारी किए गए विनिर्देशों को या किसी विदेश के राष्ट्रीय मानक को या वैल्डिंग करने वाले इलेक्ट्रोड के अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग द्वारा जारी किए गए मानकों को मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे वैल्डिंग इलैक्ट्रोड के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि वैल्डिंग इलेक्ट्रोड क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं तथा निर्यात योग्य हैं।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को वैल्डिंग इलेक्ट्रोड के प्रमाणिक नमूनों के भू समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी।

3. इस आदेश में वैल्डिंग इलैक्ट्रोड के अभिप्राय धातु की बनी अनावृत या कोट की हुई छड़ी (राड) या धातु की ट्यूब से है जिसमें फ्लक्स भरा है और जो संगलन द्वारा धातु के भागों को वैल्डिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है जिसमें संगलन के लिए आवश्यक उष्मा दो इलेक्ट्रोड के मध्य या इलेक्ट्रोड और धातु के मध्य जुड़े हुए विद्युत चाप (आर्क) द्वारा उत्पन्न की जाती है।

[सं० 6(25)/76 नि०नि० तथा नि०उ०

ORDER

S.O. 1610.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Welding Electrodes to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule of 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part—II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 30th April, 1977, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1271, dated the 30th April, 1977 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within 45 days from the date of publication of the Order in the Official Gazette :

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd May, 1977 :

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

(1) notifies that Welding Electrodes shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the export of Welding Electrodes (Quality Control and Inspection) Rules, 1978 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Welding Electrodes prior to export.

(3) recognises the specifications issued by the Indian Standards Institution or National Standard of a foreign country or the standards issued by the International Electro-Technical Commission for Welding Electrodes as the standard specifications ;

(4) prohibits the export in the course of international trade of any such Welding Electrodes unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the Welding Electrodes satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of Welding Electrodes to prospective buyers.

3. In this order "Welding Electrode" shall mean a metallic rod, bare or coated; or metallic tube filled with flux and used in the process of welding of metal parts by fusion in which the heat necessary for the fusion is produced by means of an electric arc struck between two electrodes or between an electrode and the metal.

[No. 6(25)/76-EI & EP]

का०आ० 1611.—केन्द्रीय सरकार (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम वैल्डिंग इलेक्ट्रोड निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है :

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन, मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है ;

(ग) 'वेल्डिंग इलेक्ट्रोड' से धातु की बनी अनावृत या कोट की हुई छड़ी (राड) या धातु की ट्यूब अभिप्रेत है जिसमें फलक्स भरा हो और जो संगलन द्वारा धातु के भागों की वेल्डिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है जिसमें संगलन के लिए आवश्यक ऊष्मा दो इलेक्ट्रोडों के मध्य या इलेक्ट्रोड और धातु के मध्य जुड़े हुए विद्युत चाप (आर्क) द्वारा उत्पन्न की जाती है।

3. क्वालिटी नियंत्रण : (1) निर्यात के लिए आशयित वेल्डिंग इलेक्ट्रोडों की क्वालिटी उससे उपबंधित अनुसूची में दी गई नियंत्रण की परखों के साथ विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) खरीदी गई सामग्री तथा घटक नियंत्रण :—(क) प्रयोग किए जाने वाले घटकों या सामग्री की विशेषताओं को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा क्रय विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे तथा उसके पास आने वाले लाटों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण या परीक्षण के पर्याप्त साधन होंगे ।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों के अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए प्रदायकर्ता का परख या निरीक्षण प्रमाणपत्र होगा, ऐसी दशा में क्रेता विशिष्ट प्रदाय-कर्ता के लिए उक्त परख या निरीक्षण प्रमाण-पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कालिक जांच (अर्थात् साल के तीन मास में एक बार उसी मास के उसी प्रदाय-कर्ता के लिए) की जाएगी या खरीदी गई सामग्री या घटकों का कारखाने के भीतर प्रयोगशाला या किसी प्रयोगशाला या परीक्षण गृह में नियमित रूप में परीक्षण या निरीक्षण करेगा ।

(ग) किए जाने वाले परीक्षण या निरीक्षण के लिए नमूना लेखा लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किये जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत माल को पृथक करने के लिए तथा अस्वीकृत माल के निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी ।

(ङ) विनिर्माता द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप में रखे जाएंगे ।

(2) प्रक्रिया नियंत्रण :—(क) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए व्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश का अभिकथन करेगा ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपस्कर, उपकरण एवं साधनों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी ।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन की संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता पर्याप्त अभिलेखों को रखेगा ।

(3) उत्पाद नियंत्रण :—(क) यह जांच पड़ताल करने के लिए कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य विनिर्देशों के अनुसार है उत्पाद की विनिर्माता के पास परीक्षण करने के लिए या तो स्वयं की परख सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान होंगी ।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना लेना जहां कहीं अपेक्षित हो लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(ग) किए गए परीक्षणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे ।

(4) परिरक्षण नियंत्रण :—(क) विनिर्माता द्वारा उत्पाद को मौसमी दशाओं के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित करने के लिए व्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) भंडारीकरण एवं अभिवहन दोनों के दौरान उत्पाद अच्छी तरह से सुरक्षित किया जायगा ।

(5) मौसम संबंधी नियंत्रण :—उत्पाद तथा निरीक्षण में प्रयुक्त मापकों और उपकरणों की कालिक जांच या अंशशोधन किया जाएगा और विनिर्माता द्वारा वृत्तकार्ड के रूप में अभिलेख रखे जाएंगे ।

(6) पैकिंग नियंत्रण :—विनिर्माता निर्यात किए जाने वाले पैकेजों के व्यौरेवार पैकिंग विनिर्देश बनाएगा तथा उनका पूर्णतया पालन करेगा ।

(7) निरीक्षण :—निर्यात के लिए आशयित वैल्डिंग इलैक्ट्रोडों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि ऊपर निर्दिष्ट नियंत्रणों का सुसंगत स्तरों पर प्रयोग किया गया और वैल्डिंग इलैक्ट्रोड उन पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :— (क) निर्यातकर्ता किसी भी अभिकरण लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ एक घोषणा पत्र भी देगा कि वैल्डिंग इलैक्ट्रोडों का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट नियंत्रणों के अनुसार क्वालिटी नियंत्रणों परिमापों का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है या किया जा रहा है और परेषण इस प्रयोजन के लिए विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

(ख) निर्यातकर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा ।

(ग) परिषद् के पते निम्न हैं :—

मुख्य कार्यालय . .	निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/बी एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल) कलकत्ता-700001।
क्षेत्रीय कार्यालय : . .	निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग महात्मा गांधी रोड एर्नाकुलम, कोचीन-682011। निर्यात निरीक्षण परिषद्, अमन चैम्बर्स (5वीं मंजिल), 113, महर्षि कर्वे रोड, बम्बई-400004। निर्यात निरीक्षण परिषद्, म्युनिसिपल मार्किट बिल्डिंग, 3, सरस्वती मार्ग (5वीं मंजिल), करौल बाग, नई दिल्ली-110005।

(2) निर्यात कर्ता अभिकरण को परेषण पर लगाए गए पहचान चिन्ह भी देगा ।

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा निर्यातकर्ता के परिसर से या विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम पांच दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुंचेगा ।

(4) उप-नियम (1) तथा 3 के अन्तर्गत सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण —

(क) निर्यातकर्ता की दशा में जो स्वयं विनिर्माता है अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसने, उत्पाद पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए नियम 3 के अन्तर्गत दिए गए पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों यदि कोई हों, का प्रयोग किया है तो वह तीन दिनों के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वैल्डिंग इलैक्ट्रोडों का परेषण निर्यात योग्य है ।

(ख) ऐसे निर्यातकर्ता की दशा में, जो स्वयं विनिर्माता नहीं है अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसने विनिर्माता ने उत्पाद पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए, नियम 3 के अन्तर्गत दिए गए पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों यदि कोई हों, का प्रयोग किया है तो वह निरीक्षण किए जाने के तीन दिनों के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वैल्डिंग करने वाले इलैक्ट्रोडों का परेषण निर्यात योग्य है :

परन्तु जहां अभिकरण का यह समाधान नहीं होता है वहां वह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

5. मान्य चिन्ह का चिपकाना तथा उसकी प्रक्रिया :—भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36), भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) विनियम 1955 के उपबन्ध वैल्डिंग इलैक्ट्रोड पर निर्यात से पूर्व सील या मान्य चिन्ह के चिपकाने की प्रक्रिया के संबंध में यथा संभव लागू होंगे तथा इस प्रकार चिन्हित वैल्डिंग इलैक्ट्रोड नियम 4 के अन्तर्गत किसी भी निरीक्षण के अधीन नहीं होंगे ।

6. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक निरीक्षण पोत लदान की बन्दरगाह पर विनिर्माता या निर्यातकर्ता के परिसर पर किया जाएगा ।

7. निरीक्षण फीस :—नियम 4 के अन्तर्गत प्रत्येक परेषण के लिए पोत पर्यन्त: निशुल्क मूल्य के प्रत्येक सौ रुपए पर तीस पैसे की दर से निरीक्षण फीस निर्यात कर्ता द्वारा अभिकरण को दी जाएगी जो कम से कम पचास रुपए होगी ।

8. अपील :—(1) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने के इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा ।

(2) पैनल विशेषज्ञों की कुल अवस्यता कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

अनुसूची

[नियम 3 का उप-नियम (1) देखिए]

नियंत्रण की परखें

क्रम सं०	परख या निरीक्षण की विशेषताएं	अपेक्षाएं	परख किए जाने वाले नमूनों की सं०	लाट आकार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1. सामग्री :					
(1) कोर तार . .		मानक विनिर्देशों के अनुसार			
(क) रासायनिक विश्लेषण		—वही—	(क) कुण्डलियों की प्रत्येक उष्मा तथा ढलान	प्रत्येक परेषण	
(ख) भौतिक विशेषताएं		—वही—	(ख) अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर	—वही—	
(2) चूरा . .		—वही—	अभिलेखित अन्वेषण के अनुसार प्रत्येक परेषण	—वही—	
2. इलैक्ट्रोड के लिए दैनिक परख :					
(1) सहायता सहित विभाएं		—वही—			
(क) क्रान्तिक .			(क) प्रत्येक		
(ख) अन्य .			(ख) अभिलेखित अन्वेषण के अनुसार		
(2) कार्यकौशल फिनिश, चाक्षुषदोष		—वही—	—वही—		
(3) सुखाने से पूर्व सकेन्द्रित परख।		—वही—	6 टुकड़े		15 मि० के अन्तराल पर प्रत्येक मशीन से सूखे इलैक्ट्रोडों का प्रत्येक घन्टे का उत्पादन प्रत्येक प्रकार के प्रति दिन के उत्पादन के लिए असफलता की दशा में दो और नमूने लिए जाएं और यदि पुन: परख में कोई असफलता नहीं है तो लाट स्वीकार किया जाना चाहिए ।
(4) धुआं, चाप मजबूती, धातु मल अलग करने की योग्यता वैल्ड-आबीड आकार		प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देश	2 नग		
(5) रसायनिक विश्लेषण (वैल्ड डिपोजिट में से लिए गए नमूने)		—वही—	1 नग		
(6) अभिलेखन/कोटिंग तत्व		प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देश	5 नग		दिन के उत्पाद का प्रत्येक बैच

1	2	3	4	5	6
3. इलैक्ट्रोड के लिए प्रकार परख					
	(1) तनन मजबूती .	प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देश	1 नग		प्रत्येक प्रकार के इलैक्ट्रोड के लिए हर तीन महीने
	(2) संघात परख .	—वही—	1 नग		—वही—
	(3) हाइड्रोजन सीमस .	—वही—	1 नग		हाइड्रोजन नियंत्रण प्रकार के प्रत्येक प्रकार के लिए महीने में एक बार।

[सं० 6(25)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]
सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 1611.—In exercise of the powers confered by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Export of Welding Electrodes (Quality Control and Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "agency" means any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under Section 7 of the Act.

(c) "Welding Electrode" shall mean a metalic rod, bare or coated; or metallic tube filled with flux and used in the process of welding of metal parts by fusion in which the heat necessary for the fusion is produced by means of an electric arc struck between two electrodes or between an electrode and the metal.

3. Quality Control.—(1) The quality control of the Welding Electrodes intended for export shall be ensured by effecting the following controls, at different stages of manufacture together with the levels of control as given in the Schedule annexed hereto, namely :—

(i) Bought-out materials and components control.—(a) purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and shall have adequate means of inspection or testing to ensure conformity of the incoming lots.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test or inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specification in which case occasional checks (that is to say, once in each quarter of the year for the same supplier of the same material) shall be conducted by the purchaser for a particular supplier to verity the correctness of the aforesaid test on inspection certificates, or the purchased materials or components shall be regularly inspected or tested either in a laboratory in the factory or in some other laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on a recorded investigation.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and in disposal of rejected materials or components.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control.—(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipments, instrumentation and facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Adequate rocords shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

(ii) Product Control.—(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have acess to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(iv) Preservation Control.—(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather condition.

(b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

(v) Metrological Control.—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards by the manufacturer.

(vi) Packing Control.—The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and would strictly adhere to the same.

(2) Inspection.—The inspection of Welding Electrodes intended for export shall be carried out with a view to seeing that the above mentioned controls have been exercised at relevant levels satisfactorily and that the Welding Electrodes conform to the standard specifications applicable to them.

4. Procedure of Inspection.—(1) (a) The exporter shall give intimation in writing to any agency and submit along with such intimation a declaration that the consignment of Welding Electrodes has been or is being manufactured by exercising quality control measures as per controls referred to in rule 3 and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for the purpose.

(b) The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Council.

(c) The addresses of the Council are as under :

Head Office : Export Inspection Council,
'World Trade Centre'
14/1B, Ezra Street (7th floor)
Calcutta—700001.

Regional Offices :

Export Inspection Council,
'Manohar Buildings'
Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam,
Cochin-682011.

Export Inspection Council,
'Aman Chambers' (4th floor),
113, Maharshi Karve Road,
Bombay-400004.

Export Inspection Council,
Municipal Market Building,
3, Saraswati Marg (4th floor),
Karol Bagh,
New Delhi-110005.

(2) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than five days prior to the despatch of the consignment from the manufacturers' premises or exporter's premises.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rules (1) and (3), the agency shall—

(a) in the case of an exporter who is himself the manufacturer on satisfying itself that during the process of manufacture he had exercised adequate quality control as provided under rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard to manufacture the product according to the standard specifications applicable to it, shall, within three days, issue a certificate declaring the consignment of Welding Electrodes as exportworthy ;

(b) in case of an exporter who is not himself the manufacturer on satisfying itself that during the process of manufacture the manufacturer had exercied adequate quality control as provided under rule 3 and instructions, if any, issued by the Council in this regard to manufacture the product according to the standard specifications applicable to it, within three days of carrying out the inspection, issue a certificate declaring the consignment of Welding Electrodes as exportworthy :

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Affixation of recognised marks and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952, (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, shall, so far as may be, apply in relation to the procedure of the affixation of the recognised mark or seal on Welding Electrodes prior to export and Welding Electrodes so marked shall not be subjected to any inspection under rule 4.

6. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out at the premises of the manufacturer or exporter at the part of shipment.

7. Inspection Fee.—A fee at the rate of thirty paise for every hundred rupees of P.O.B value subject to a minimum of rupees fifty only for each such consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee under rule 4.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule, 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-third of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

SCHEDULE

[See Sub-rule (1) of rule 3]

Tests of control

Sl. No.	Test or Inspection Characteristics	Requirements	No. of Samples to be tested	Lot Size	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Material				
	(i) Core Wire	As per standard specification			
	(a) Chemical analysis	-do-	(a) Each and every heate or cast of coils	Each consigment	
	(b) Physical properties	-do-	(b) As per recorded investigation	-do-	
	(ii) Powder	-do-	Each consignment as per recorded investigation	-do-	
2.	Routine Test for Electrode				
	(i) Dimensions with tolerances	-do-			
	(a) Critical		(a) Each		
	(b) Others		(b) As per recorded investigation		
	(ii) Workmanship, finish, visual defect	-do-	-do-		

1	2	3	4	5	6
	(iii) Concentricity test before drying	As per standard specification	6 pcs.	—	From each machine at an interval of 15 minutes.
	(iv) Smoke, arc stability, slag detachability, weld lead shape	Standard Specification recognised for the purpose	2 nos.	—	Each hour production of dry electrodes.
	(v) Chemical analysis (Samples drawn from weld deposit)	-do-	1 no.	—	For day's production of each type. In case of failure, two more samples to be drawn and lot should be accepted if no failure occurs during retest.
	(vi) Recording/Coating factor	Standard Specifications recognised for the purpose	5 nos.	—	Each batch of day's production
3.	Type Test for Electrode				
	(i) Tensile strength	-do-	1 no.	—	Every three months for each type of electrode
	(ii) Impact test	-do-	1 no.	—	-do-
	(iii) Hydrogen limit	-do-	1 no.	—	Once a month for each type of Hydrogen control type.

[No. 6 (25)/76- E I & E P]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 मई, 1978

का०आ० 1612.—सर्वश्री ऊषा टेलीहायस्ट लि०, कलकत्ता को यू० के/भारत अनुदान, के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए 1,13,000 के लिए आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2211927, दिनांक 5-1-78 प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उनसे खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया है कि उक्त लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल उपयोग में लाए बिना ही खो गया है।

3. अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी०/डी/2211927, दिनांक 5-1-78 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है तथा निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की एक अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। उक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

4. लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति अब अलग से जारी की जा रही है।

[सं० आटो/य०-1(6)/ए एम-78/आर एम-4 1827]

Office of the Chief Controller of Imports & Exports

ORDER

New Delhi, the 16th May, 1978

S.O. 1612.—M/s. Usha Telehoist Ltd., Calcutta were granted import licence No. P/D/2211927 dated 5-1-78 for Rs. 1,13,000, issued under UK/India maintenance grant for import of raw materials and components as per list attached to it.

2. They have requested for the issue of duplicate customs copy as well as exchange control copy of the above said licence on the ground that the original customs and exchange control copies have been lost or misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the said licence has been lost without having been registered with any custom authority and has not been utilised at all.

3. In support of their contention the applicants have filed an affidavit. The under signed is satisfied that the original customs copy as well as Exchange control copy of import licence No. P/D/2211927 dated 5-1-78 has been lost or misplaced and directs that a duplicate customs copy & Exchange control copy of the said licence should be issued to the applicant. The original customs copy as well as exchange control copy of the said licence is hereby cancelled.

4. The duplicate customs purposes copy and Exchange control copy of the licence is being issued separately.

[File No. Auto/U-1(6) AM 78/RM IV 1827]

आदेश

का०आ० 1613.—सर्वश्री ऊषा टेलीहायस्ट लि०, कलकत्ता को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार कच्चे माल और संघटको के आयात के लिए आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2211928, दिनांक 5-1-78 रु० 5,00,000 के लिए प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति उनसे खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंस धारी ने आगे यह भी बताया है कि लाइसेंस की उक्त सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी पत्तन अधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल उपयोग में लाए बिना ही खो गई है ।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट हैं कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2211928, दिनांक 5-1-78 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है तथा निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए । मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

4. लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अब अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या आटो/यू-1(6) ए एम-78/आर एम०-4/1833]

जी० एस० ग्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक
कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 1613.—M/s. Usha Telehoist Ltd., Calcutta were granted import licence No. P/D/2211928 dated 5-1-78 for Rs. 5,00,000 for import of raw materials and components as per list attached to it issued under Free Source.

2. They have requested for the issue of duplicate Customs copy of the above said licence on the ground that the original customs purposes copy has been lost or misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the said customs copy of the licence has been lost without having been registered with any custom authority and has not been utilised at all.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The under-signed is satisfied that the original Customs purposes copy of import licence No. P/D/2211928 dated 5-1-78 has been lost or misplaced and directs that a duplicate customs purposes copy of the said licence should be issued to the applicant. The original customs purposes copy is hereby cancelled.

4. The duplicate customs purposes copy of the licence is being issued separately.

[File No. Auto/U-1(6)AM 78/RM IV 1833]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller
For Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1978

का० आ० 1614.—सर्वश्री असम कार्बन प्राडक्ट्स लि०, मेघदूत, 94, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–24 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से, कार्बन ब्रशों का विनिर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के अर्थात् सिल्ली, छल्लों और त्रिभुजीय, गोलाकार या अन्य आकार के छड़ों के आकार में इलैक्ट्रोग्रेफाइट कठोर ग्रेफाइट ब्लाकों का आयात करने के लिए 21,120 रुपये मूल्य का आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2205730/सी/एक्सएक्स/61/एच/43-44 दिनांक 11-11-76 प्रदान किया गया था ।

2. उन्होंने उपर्युक्त सीमा शुल्क प्रयोजन की प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनसे मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया है कि 21,120 रुपये की धनराशि (लाइसेंस का पूरा मूल्य) लाइसेंस में उपयोग के लिए शेष थी और इसे सीमा शुल्क प्राधिकारी कलकत्ता के पास पंजीकृत कराया गया था और अप्रयुक्त शेष का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था ।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट हैं कि आयात लाइसेंस सं० पी/एल/2205730/सी/एक्स एक्स/61/एच/43-44 दिनांक 11-11-76 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए । मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है ।

4. लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० मोटर 7(1) 76-77/आर एम 6]

आर० पी० बसु,
उप-मुख्य नियंत्रक, कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 1st April, 1978

S.O. 1614.—M/s. Assam Carbon Products Ltd., 407, Meghdoot, 94, Nehru Place, New Delhi-24 were granted import licence No. P/D/2205730/C/XX/61/H/43-44 dated 11-11-76 for Rs. 21,120 for the Import of Electrographite Hard Graphite blocks in various shapes i.e. slabs, rings and rods of triangular, round and other shapes for the manu-of Carbon Brushes from G.C.A. Countries.

2. Thry have requested for the issue of duplicate Customs Purposes copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an unutilised bafance of Rs. 21,120 (full value of the licence) and that the licence has been registered with Calcutta Customs authorities and not utilised at all.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Original Customs Purposes copy of Import Licence No. P/D/2205730/C/XX/61/H/43-44 dated 11-11-76 has been misplaced and directs that a duplicate Customs Purposes copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy is cancelled.

[No. Motor. 7(1)/76-77/RM 6]

4. The Duplicate Customs Purposes copy of the licence is being issued separately.

R. P. BASU, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1978

का० आ० 1615.—श्री देवेन्द्र प्रताप मलिक, सुपुत्र श्री लक्खी सिंह गांव और डाकखाना सुन्ना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को एक एम० पी० बोर रिवाल्वर का आयात करने के लिए 800 रुपए की सागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3056015/एन/एमएन/65/एच/77 ए एल एस, दिनांक 31-10-1977 प्रदान किया गया था । यह बताया जाता है कि यह मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी भी पत्तन के कार्यालय में पंजीकृत कराए बिना ही और बिल्कुल उपयोग में लाए बिना ही खो गया/अस्थानस्थ हो गया है ।

2. श्री देवेन्द्र प्रताप मलिक ने सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए हमसे सिफारिश की है । अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है । अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 को उप-धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री देवेन्द्र प्रताप मलिक जो जारी किए गए उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3056015/एन/एम एन/65/एच/77 ए एल एस, दिनांक 31-10-77 को रद्द किया जाता है ।

3. सीमा शुल्क निकासी परमिट की एक अनुलिपि प्रति श्री देवेन्द्र प्रताप मालिक को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० 315-4/275/ए एम-78/ए एल एल]
एच० एल० बहल, उप मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1978

S.O. 1615.—Shri Devendra Pratap Malik S/o. Shri Lakhi Singh, village and Post Office Sunna, District Muzaffarnagar, U.P. was granted CCP No. P/J/3056015/N/MN/65/H/77/ALS dated 31-10-77 for a c. i.f. value of Rs. 800 for the import of one NP. Bore Revolver. This CCP in original is stated to have been lost/misplaced without registering it with any Custom Office and without utilising the same.

2. Shri Devendra Pratap Malik has now approached us for issue of a duplicate CCP. In support of his contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn before Notary. I am accordingly satisfied that the CCP in original has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended, the said original CCP No. P/J/3056015/N/MN/65/H/77/ALS dated 31-10-77 issued to Shri Devendra Pratap Malik is cancelled.

3. A duplicate CCP is being issued to Shri Devendra Pratap Malik separately.

[315-IV/275/AM-78/ALS]
H. L. BAHL, Dy. Chief Controller

नई दिल्ली, 20 मई, 1978

रद्द करने का आदेश

का० आ० 1616.—भारत स्थित यू० एस० एस० आर० के सर्वश्री ट्रेड रेप्रेजेनटेशन, 50-ई, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली को एक ट्रेक्टर डी०टी० 7504 का आयात करने के लिए 108347 रुपए लागत बीमा भाड़ा मूल्य का आयात सी० नि० प० (सीमा शुल्क निकासी परमिट) सं० पी/जे/3047870/एन/एमएन/54/एच/39.40, दिनांक 24-3-75 प्रदान किया गया था और यह जारी होने की तिथि से छः महीने के लिए वैध था। अब पार्टी ने उक्त सी० नि० प० की अनुलिपि प्रति प्रदान करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनसे मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। पार्टी ने आयात व्यापार नियन्त्रण नियमावली के अनुसार आवश्यक शपथपत्र दाखिल किया है और उक्त शपथपत्र के अनुसार उपयुक्त सी० नि० प० को सीमा शुल्क सदन बम्बई में पंजीकृत कराया था और इसका आंशिक उपयोग किया गया था तथा इस सी० नि० प० में 1796 रुपए शेष हैं। शपथपत्र मे यह भी कहा गया है कि यदि उक्त सी० नि० प० बाद में खोज लिया जाएगा या मिल जाएगा तो इसको लाइसेंस प्राधिकारी को लौटा दिया जाएगा। मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता हूं कि आवेदक को सी० नि० प० की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल० सी० नि० प० एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[सं० 3/8/74-75/एम० एल० 1/70]
एम० जी० गोम्बर, उप-मुख्य नियंत्रक, कृते मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 20th May, 1978

CANCELLATION ORDER

S.O. 1616.—M/s. Trade Representation of the U.S.S.R. in India, 50E, Chankyapuri, New Delhi were granted an import C.C.P. (Custom Clearance Permit) No. P/J/3047870/N/MN 54/H/39.40 dated 24-3-75 for a C.I.F. value of Rs. 108347 for import of One Tractor DT-7504 valid for six months from the date of issue. Now the party have applied for grant of a Duplicate of the aforesaid C.C.P. on the ground that the original one has been lost/misplaced by them. The party have furnished necessary affidavit as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid C.C.P. was registered with Bombay Customs House and was utilised partly and the balance against the C.C.P. is Rs. 1796. It has also been incorporated in the affidavit that if the said C.C.P. is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. I am satisfied that the original Customs Clearance Permit has been lost/misplaced and direct that a Duplicate copy of the C.C.P. should be issued to the applicant. The original C.C.P. is hereby cancelled.

[File No. 3/8/74-75/ML. I/70]
M. G. GOMBAR, Dy. Chief Controller
For Chief Controller

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1978-05-12

का० आ० 1617.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम, 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिह्न निर्धारित किया है जिसकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानक के शीर्षक सहित अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1978-01-01 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1. 2.	BINDER ISI IS:4832(I) FILLER+SETTING AGENT ISI IS 4832(I)	रसायन प्रतिरोधी चिनाई मसाले	(i) IS : 4832 (भाग 1 और 2)—1969 रसायन प्रतिरोधी चिनाई के मसालों की विशिष्टि; भाग 1 सिलिकेट वाले और भाग 2 रेजिन वाले	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया है और जैसा क्रम संख्या 1 से 4 में दिया है मोनोग्राम के ऊपर की ओर 'बाइंडर' फिलर+सेटिंग एजेंट, 'रेजिन'

1	2	3	4	5
3.	RESIN IS 4832 (II)	रसायन प्रतिरोधी चिनाई मसाले	(ii) IS : 4832 (भाग 3)—168 रसायन प्रतिरोधी चिनाई के मसालों की विशिष्टि; भाग 3 गंधक वाले।	और 'फिलर कैटेलिस्ट' शब्द और नीचे की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या अंकित है और जैसा क्रम संख्या 5 में दिया है ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या और सम्बद्ध भाग मोनोग्राम के नीचे की ओर अंकित है।
4.	FILLER + CATALYST IS 4832 (II)			
5.	IS:4832 PART III			

[सं० सी एम डी/13.9]

वाई० एम० वेंकटेश्वरन्, अपर महानिदेशक

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1978-05-12

S.O. 1617.— In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s) design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1978-01-01.

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	BINDER IS:4832(I)	Chemical resistant mortars	(i) IS : 4832 (Parts I & II)—1969 Specification for chemical resistant mortars : Part I Silicate type and Part II Resisn type	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the words 'BINDER' 'FILLER+SETTING AGENT' 'RESIN' and 'FILLER'+ CATALYST' being superscribed on the top side and the number of the Indian Standards alongwith its part being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated against serial number 1 to 4 and against Sl. No. 5 the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the relevant part being subscribed under the
2.	FILLER+SETTING AGENT IS:4832(I)			
3.	RESIN IS 4832 (II)		(ii) IS : 4832 (Part III)—1968 Specification for chemical resistant mortars: Part III Sulphur type	

1	2	3	4	5
				bottom side of the monogram as indicated in the designs.
4.	FILLER + CATALYST IS 4832 (II)			
5.	IS:4832 PART III			

[No. CMD/13:9]

Y. S. VENKATESWARAN, Additional Director General.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1978

का०आ० 1618.—सरकारी परिसर (अनधिकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय की तारीख 1 अगस्त, 1973 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2596 के अतिक्रमण में केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी को जिसका रैंक सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समान होगा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के कालम (2) के विनिर्दिष्ट सरकारी लोक परिसरों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी परिसर की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमायें
सचिव, भारत गोल्ड माइन्स लि०, उरगाम डाकघर, (कर्नाटक राज्य)	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (कर्नाटक राज्य) के अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत परिसर।

[फा० सं० एफ० 1/1/78-एम०-6/बी० जी० एम० एल०]

मालती सुनीला सिन्हा, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 16th May, 1978

S.O. 1618.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 2596, dated the 1st August, 1973, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government to be the Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on the Estate Officer by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
1	2
Secretary, Bharat Gold Mines Limited, Oorgaum P.O., (Karnataka State)	Premises under the administrative control of the Chairman-Cum-Managing Director or Bharat Gold Mines Limited (Karnataka State).

[F. No. F. 1/1/78-MVI/BGML]

Smt. M. S. SINHA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

का०आ० 1619.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1960 की अधिसूचना संख्या 17-47/59-एम०-1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिये "यूनिवर्सिटी आफ कोपेनहेगन, डेनमार्क" द्वारा प्रदत्त केन्डीडेट्स मैडिसिन इटी चिरुरगेई चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यतः डा० लिस्टर जोना एलिजाबेथ बोनेथी जिनके पास उक्त अर्हता है, धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये फिलहाल डेनिश मिशन अस्पताल तिरुकोयलूर के साथ सम्बद्ध है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा

(1) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की, अथवा

(2) उस अवधि की जब तक डा० लिस्टर जोना एलिजाबेथ बोनेवी उक्त डेनिश मिशन अस्पताल तिरुकोयलूर के साथ सम्बद्ध रहती है, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मैडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगी ।

[सं० बी०-11016/10/78-एम०ई० (पी०)]

आर०वी० श्रीनिवासन, उप-सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1978

S.O. 1619.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 17-47/59-MI, dated the 30th March, 1960, the Central Government has directed that the Medical qualifications, "Candidatus Medicinae ET Chirugiae granted by the University of Copenhagen, Denmark," shall be recognised medical qualifications for the purposes of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956) ;

And whereas Dr. Lister Jonna Elizabeth Bonnevie, who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Danish Mission Hospital, Tirukoilur, for the purposes of Charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a further period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. Lister Jonna Elizabeth Bonnevie, is attached to the said Danish Mission Hospital, Tirukoilur,

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/10/78-M.E. (P)]

R. V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

का०आ० 1620.—पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (i) के उपबंधों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पशु कल्याण बोर्ड का सदस्य नामित करती है ।

क्रम सं०	सदस्य	दिनांक	श्रेणी
1	2	3	4
1.	डा०वी०एस०अलवर	1-4-78	धारा 5(1)(सी) पशु चिकित्सा प्रैक्टीशनर संघ के नामित व्यक्ति ।

[सं० 14-4/78-एल० डी०-1]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, 19th May, 1978

S.O. 1620.—Under provisions of Sub-section (i) of Section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, the Central Government hereby nominate the following persons to be members of the Animal Welfare Board for a period of three years from the dates mentioned against each.

Sl. No.	Member	Date	Category
1.	Dr. V.S. Alwar	1-4-78	Section 5(1)(c) nominee of association of Veterinary Practitioners.

[No. 14-4/78-LD. I]

का० आ० 1621.—पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पशु कल्याण बोर्ड का सदस्य नामित करती है ।

क्रम सं०	सदस्य	दिनांक	श्रेणी
1	2	3	4
1.	डा० वी०एस० अलवर	1-4-78	धारा 5(1)(सी) पशु चिकित्सा प्रैक्टीशनर संघ के नामित व्यक्ति ।

[सं० 14-4/78-एल० डी-1]

बी०बी० कपूर, उप सचिव

S.O. 1621.—Under provisions of Sub-section (i) of Section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, the Central Government hereby nominate the following persons to be members of the Animal Welfare Board for a period of three years from the dates mentioned against each.

Sl. No.	Member	Date	Category
1.	Dr. V.S. Alwar	1-4-78	Section 5(1)(c) nominee of association of Veterinary Practitioners.

[No. 14-4/78-LDI]

B. B. KAPUR, DEPUTY Secy.

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 1978

का० आ० 1622.—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जो कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय की उक्त अधिनियम की धारा 12-ए की उपधारा (I) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है:—

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन किस पद पर स्थायी है	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के किस पद पर थे	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री रोशन लाल	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	31 1-70
2.	श्री एच० एस० बेदी	अवर श्रेणी लिपिक	अवर श्रेणी लिपिक	7-12-70

[फा० सं० 52/4/71-एफ० सी० III (वाल्यूम-9)]

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 5th May, 1978

S.O. 1622.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India:

And Whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, there intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-Section (I) of Section 12A of the said Act;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporation of India Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No.	Name of the officer/ employees	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the FCI.
1	2	3	4	5
1.	Shri Roshan Lal	U.D.C.	U.D.C.	31-1-70
2.	Shri H.S. Bedi	L.D.C.	L.D.C.	7-12-70

[No. 52/4/71-FC-III(Vol. IX)]

आदेश

का० आ० 1623.—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जो कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय की उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है:—

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन किस पद पर स्थायी है	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के किस पद पर थे	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री के० पी० सेबस्टैन	टैली क्लर्क	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	6-4-77
2.	श्री वी० गंगाधरन	—	चौकीदार	1-3-69
3.	श्री जागीर सिंह	—	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-69
4.	श्री जार्ज कुरुविल्ला	तकनीकी अधिकारी	सहायक निदेशक (तकनीकी)	30-6-71

[फा० सं० 52/8/73-एफ० सी० III (वाल्यूम 9)]
बख्शी राम, उप सचिव

ORDER

S.O. 1623—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And Whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, there intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-Section (I) of Section 12A of the said Act;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporation of India Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No.	Name of the Officer/ employees	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the FCI.
1	2	3	4	5
1.	Sh. K.P. Sebastain	Tally Clerk	Senior Godown keeper	6-4-77
2.	Sh. V. Gangadharan	—	Watchman	1-3-69
3.	Sh. Jagir Singh	—	Senior Godown Keeper	1-3-69
4.	Sh. George Kuruvilla	Technical Officer	Assistant Director (Technical)	30-6-71

[No. 52/8/73—FC—III (Vol. IX)]
BAKSHI RAM, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

का०आ० 1624.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमायें
(1)	(2)
उपाध्यक्ष, विशाखापत्तनम डाक श्रम बोर्ड, विशाखापत्तनम।	विशाखापत्तनम की नगर सीमाओं के भीतर विशाखापत्तनम डाक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों और कर्मकारों के क्वार्टर और अन्य भवन।

[एल०डी०बी०/17/78-एल०-2]
वी० शंकरलिंगम, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 19 May, 1978

S.O. 1624.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent in rank to gazetted officers of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the categories of Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

Designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Deputy Chairman, Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.	Staff and workers quarters and other buildings belonging to the Visakhapatnam Dock Labour Board within the Municipal limits of Visakhapatnam.

[No. LDV/17/78-LII]
V. SANKARALINGAM, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

नई दिल्ली, 3 जून, 1978

सार्वजनिक सूचना

का०आ० 1625.—मुख्य योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों को सार्वजनिक सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों पर कोई आपत्ति है या वह कोई सुझाव देना चाहता है तो वह इस सूचना के 30 दिन के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 5वीं मंजिल, विकास मीनार इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुतकर्ता कृपया अपना नाम व पता अवश्य लिखें :—

संशोधन:—

1. डी-2 क्षेत्र (माता सुन्दरी क्षेत्र) में पड़ने वाली 0.38 हैक्टर (0.94 एकड़) जो वह भूमि है जिसके उत्तर में 30.48 मीटर चौड़ा जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पूर्व में गांधी स्मारक निधि, दक्षिण में हरिजन बस्ती तथा पश्चिम में 18.28 मीटर चौड़ा मार्ग है उसके प्रयोग को "मनोरंजन" प्रयोग से "सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाएं (पुस्तकालय)" में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।
2. डी-2 क्षेत्र (माता सुन्दरी क्षेत्र) में पड़ने वाली 0.44 हैक्टर (1.08 एकड़) जो वह भूमि है जिसके पश्चिम में 18.28 मीटर चौड़ा मार्ग है दक्षिण में मूक एवं बधिर विद्यालय पूर्व में गांधी स्मारक निधि तथा उत्तर में गांधी साहित्य सभा (पुस्तकालय) है उसके प्रयोग को "मनोरंजन प्रयोग" से "आवासीय प्रयोग" में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।
3. डी-2 क्षेत्र (माता सुन्दरी क्षेत्र) में पड़ने वाली 1.44 हैक्टर (3.57 एकड़) जो वह भूमि है जिसके उत्तर में हरिजन बस्ती है, पूर्व में आवासीय क्षेत्र है, दक्षिण में 12 मीटर चौड़ा मार्ग है तथा पश्चिम में 18.28 मीटर चौड़ा मार्ग है उसके प्रयोग को "मनोरंजन प्रयोग" से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं' (मूक एवं अधिर विद्यालय) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।
4. डी-2 क्षेत्र (माता सन्दरी क्षेत्र) में पड़ने वाली 0.95 हैक्टर (2.36 एकड़) जो वह भूमि है जिसके पूर्व में आवासीय क्षेत्र दक्षिण में कोटला फिरोजशाह स्मारक, पूर्व में मनोरंजन क्षेत्र तथा उत्तर में 12 मीटर चौड़ा मार्ग है उसे "मनोरंजन प्रयोग से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (दिल्ली बाल सहायता समिति)" में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला चित्र भी देखने के लिये प्राधिकरण के कार्यालय में 11वीं मंजिल विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली पर शनिवार को छोड़कर सभी कार्यशील दिवसों में उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध होगा।

[सं० एफ० 16(47)/74-एन०पी०]
कृष्ण प्रताप, सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING
(Delhi Development Authority)

New Delhi, the 3rd June, 1978

PUBLIC NOTICE

S.O. 1625.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications, may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modifications :

1. The land use of an area, measuring 0.38 hectare (0.94 acres), falling in Zone D-2 (Mata Sundri Area), bounded by 30.48 metres wide Jawahar Lal Nehru Marg on the north, Gandhi Memorial Samarak Nidhi on the east, Harijan Basti on the South and a 18.28 metres wide road on the west, is proposed to be changed from "Recreational use" to "Public & Semi-Public Facilities (Library)."

2. The land use of an area, measuring 0.44 hectare (1.08 acres), falling in Zone D-2 (Mata Sundri Area) bounded by 18.28 metres wide road on the west, Deaf and Dumb School on the South, Gandhi Memorial Samarak Nidhi on the east and Gandhi Sahitya Sabha (Library) on the north, is proposed to be changed from 'Recreational use' to 'Residential use'.

3. The land use of an area measuring 1.44 hectares (3.57 acres), falling in Zone D-2 (Mata Sundri Area) bounded by Harijan Basti on the north, residential area on the east, 12 metres wide road on the south and 18.28 metres wide road on the west, is proposed to be changed from 'recreational use' to 'public and semi-public facilities' (Deaf and Dumb School).

4. The land use of an area measuring 0.95 hectare, 2.36 acres, falling in Zone D-2 (Mata Sundri Area) bounded by residential area on the east Kotla Feroz Shah Monument on the south, recreational area on the east and 12 metres wide road on the north, is proposed to be changed from recreational use to 'public and semi-public facilities' (Delhi Children Aid Society).

The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the Office of the Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 16(47)/74-M.P.]
KRISHNA PRATAP, Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 1978

का०आ० 1626.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, "एक मुश्त सौदे" या "प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्था" के अन्तर्गत, भारत सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार को सौंपे गये कार्यों के संबंध में राजस्थान राज्य में श्रीगंगानगर जिले के अपर कलक्टर को, उनके अपने कार्यों के अलावा, उनके अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त अधिनियम या उसके द्वारा बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये अपर बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० 1(2)/विशेष सेल/78-एस०एस०-II]

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 6th May, 1978

S.O. 1626.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Additional Collector, Sriganganagar District in the State of Rajasthan, to be Additional Settlement Commissioner for the purpose of performing in addition to his own duties as Additional Collector within his jurisdiction the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act in relation to the work entrusted to the Government of Rajasthan by the Government of India in the Department of Rehabilitation under the "Package Deal" or "Administrative and Financial Arrangements".

[No. 1(2)/Spl. Cell/78-SS. II]

का०आ० 1627.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, "एक मुश्त सौदे" या "प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्था" के अन्तर्गत, भारत सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार को सौंपे गये कार्यों के संबंध में राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले के लिये पुनर्वास अधिकारी को उनके अपने कार्यों के अलावा अपने अधिकार क्षेत्र में, उक्त अधिनियम या उसके द्वारा प्रबन्ध अधिकारी को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 1(2)/विशेष सेल/78-एस०एस०-II]

दीना नाथ असीजा, संयुक्त निदेशक

S.O. 1627.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the District Rehabilitation Officer, Sriganganagar District in the State of Rajasthan to be Managing Officer for the purpose of performing in addition to his own duties as District Rehabilitation Officer within his jurisdiction the functions assigned to a Managing Officer by or under the said Act in relation to the work entrusted to the Government of Rajasthan by the Government of India in the Department of Rehabilitation under the 'Package Deal' or 'Administrative and Financial Arrangements'

[No. 1(2)/Spl. Cell/78-SS. II]
D. N. ASIJA, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1978

का०आ० 1628.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० सेल्वार रत्नम होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निदेशित करती है।

अनुसूची

क्या उपबन्ध में उल्लिखित दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों की जिन्हें पहले भारतीय खाद्य निगम, कामोनी (धानजबुर जिला) की मार्डन राइस मिल में कार्य करने के लिये एक ठेकेदार द्वारा नियोजित किया गया था किन्तु जिन्हें बाद में उक्त मार्डन राइस मिल के प्रबन्धतन्त्र से सीधे वेतन प्राप्त होता था, भारतीय खाद्य निगम की सेवा में नियमित आधार पर आमेलित जाने की मांग न्यायोचित है यदि हां; तो किस तारीख से उक्त श्रमिकों को आमेलित किया जाये।

अनुबन्ध

1. श्री के० पिचाय	2. श्री के० सेल्वाराज
3. श्री के० सुब्रामनियन	4. श्री अन्नादुराई
5. श्री एन० कृष्णामूर्ति	6. श्री बी० थानमुगम
7. श्री एस० महालिंगम	8. श्री एस० वेलायस्वामी
9. श्री के० बी० पलानयप्पन	10. श्री बी० कानन

11. श्री एस० पन्नीरसेल्वम
12. श्री एस० मुरुगयन
13. श्री एस० राजागोपाल
14. श्री के० दुरायराज
15. श्री एस० सिंगारावेलू
16. श्री पी० कन्नायन
17. श्री आर० वेलायुधम्
18. श्री के० नागाराजन
19. श्री पी० कल्यानासून्दरम
20. श्री एस० चिन्नास्वामी
21. श्री वी० सेल्वाराज
22. श्री गोविन्दन
23. श्री टी० सामीनाथम्
24. श्री ए० इसाक
25. श्री पी० अर्जुनम्
26. श्री एलेग्जेन्डर
27. श्री एन० थंगप्पन
28. श्री एस० नारायणस्वामी
29. श्री एन० चन्द्रासेखरन्
30. श्री एस० रामास्वामी
31. श्री एन० विजयारागवन्

[सं० एल०-42011(8)/77-डी०-II(बी०)]

हरबन्स बहादुर, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 6th March, 1978

S.O. 1628.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Food Corporation of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. Selvaratnam shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the daily rated employees mentioned in the Annexure, who were previously engaged by a Contractor for work in the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Pamini (Thanjavur District) but were subsequently being paid wages directly by the management of the said Modern Rice Mill, for their absorption in the service of the Food Corporation of India on a regular basis, is justified ? If so, from what date should the said workmen be so absorbed ?

ANNEXURE

1. Shri K. Pitchai.
2. ,, J. Selvaraj.
3. ,, K. Subramanian.
4. ,, Annadurai.
5. ,, N. Krishnamoorthy.
6. ,, V. Shanmugam.
7. ,, S. Mahalingam.
8. ,, S. Vellaisamy.
9. ,, K. V. Palaniappan.
10. ,, V. Kannan.
11. ,, S. Panneerselvam.
12. ,, S. Murugaiyan.
13. ,, S. Rajagopal.
14. ,, K. Durairaj.
15. ,, S. Singaravelu.
16. ,, P. Kannaiyan.
17. ,, R. Velayutham.
18. Shri K. Nagarajan.
19. ,, P. Kalyanasundaram.
20. ,, S. Chinnasamy.
21. ,, V. Selvaraj.
22. ,, Govindan.
23. ,, T. Saminathan.
24. ,, A. Issac.
25. ,, P. Arjunan.
26. ,, Alexander.
27. ,, N. Thangappan.
28. ,, S. Narayanasamy.
29. ,, N. Chandrasekaran.
30. ,, S. Ramasamy.
31. ,, N. Vijayaragavan.

[No. L-42011(8)/77-D-II(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1978

का०आ० 1629—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, तालचर, की देउलबेरा कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी०के० बेहेरा होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड की देउलबेरा कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र की श्री कन्दर्प नायक लोडर [टिकिट सं० 85 (आर०आई०)] धाराणाधिकार 23-12-75 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-24012(1)/77-डी०-4(बी)]

ORDER

New Delhi, the 16th March, 1978

S.O. 1629.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Deulbera Colliery of Central Coalfields Limited, Talcher and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (a) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. K. Behera shall be the Presiding Officer with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Deulbera Colliery of Central Coalfields Limited in terminating the lien of Shri Kandarpa Nayak, Loader' (Ticked No. 85) (RI) with effect from 23-12-75 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[F. No. L-24012(1)/77-D-IV(B).]

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1978

का०आ० 1630—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, राम कृष्ण पुर प्रभाग के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० पी० नारायना राय होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, राम कृष्ण पुर प्रभाग के प्रबन्धतन्त्र की, शाटफायरर ग्रेड 'सी०' को अपने कार्य के अतिरिक्त माइनिंग सिरदार के कार्य को करने को कहने तथा उनके द्वारा ऐसा करने से इन्कार करने पर उन्हें उनके सामान्य कार्य को 6-4-77 से 19-4-77 तक करने की अनुमति न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं तथा किस तारीख से ?

[सं० एल०-21011(1)/77-डी०-4(बी)]

ORDER

New Delhi, the 20th March, 1978

S.O. 1630.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur Division and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. P. Narayana Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur Division in asking the Shotfirers Grade 'C' to perform duties of Mining Sirdars in addition to their own and on their refusal to do so not allowing them to perform their normal work with effect from 6-4-77 to 19-4-77 is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date ?

[F. No. L-21011(1)/77-D-IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 6 मई, 1978

का० आ० 1631.—इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री बी० के० बेहेरा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के समक्ष लंबित है;

और उक्त श्री बेहेरा की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं हैं;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० वी० गंगाराजू होंगे, जिन का मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त श्री बी० के० बेहेरा के समक्ष लम्बित उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेकर श्री गंगाराजू, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर को उक्त कार्यवाहियों के निपटाने के लिए इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण और आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे अन्तरित की जाए तथा विधि के अनुसार उस का निपटान करेगा ।

अनुसूची

क्रमांक	मामला संख्या	आदेश की संख्या और तारीख	पक्षकारों के नाम
1	2	3	4
1	4/75	एफ० एन० एल० 26012/8/75-डी० IV (बी) तारीख 13-8-75	मैसर्स उड़ीसा मिनरेल डेवलपमेंट कंपनी डाकघर बंबिल के अधीन मैसर्स माडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, कन्ट्रेक्टर बनाम उनके कर्मकार।
2.	9/75	एल० 26012/13/75-डी० IV (बी) तारीख 13-11-75	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड डाकघर राउरकेला का प्रभारी अधीक्षक राउरकेला स्टील प्लांट, बनाम उनके कर्मकार ।
3.	3/76	17011/13/71-एल० आर० 1 तारीख 6-1-76	राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता बनाम उनके कर्मकार श्री डी० ए० दास।
4.	6/76	एल० 26012/3/76-डी० 4(बी) तारीख 22-9-76	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला के राउरकेला स्टील प्लांट का प्रबंधतंत्र बनाम उनके कर्मकार ।

1	2	3	4
5.	7/76	एल० 38012/4/75-डी० 4(ए) तारीख 18-10-76	परादीप पोर्ट ट्रस्ट, परादीप जिला कटक का प्रबंधतंत्र बनाम उनके कर्मकार।
6	1/77	एल० 26012/16/76-डी० 4 (बी) तारीख 20-1-77	उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन, डाकघर तलपाडा जिला किओन-झारकी बेनारी लौह अयस्क परियोजना का प्रबंधतंत्र बनाम उनके कर्मकार।
7.	2/77	एल० 29012/5/77-डी-3(बी) तारीख 5-2-77	डुंगरी चूनापत्थर खान, आई० डी० सी० आफ० उड़ीसा लिमिटेड के श्री एल० आर० प्रधान, रेजिंग कन्ट्रैक्टर बनाम उनके कर्मकार।
8.	3/77	एल० 29012/1/77-डी० 111(बी) तारीख 5-2-77	मैसर्स आई० डी० सी० आफ० उड़ीसा लिमिटेड की डुंगरी चूना पत्थर खान के ब्रिज बिल्डिंग कन्ट्रैक्टर रेजिंग कन्ट्रैक्टर बनाम उनके कर्मकार।
9.	4/77	एल० 29012/6/77-डी० 111(बी) तारीख 5-2-77	आई० डी० सी० आफ० उड़ीसा लिमिटेड की डुंगरी चूनापत्थर खान के मैसर्स जी० आर० पाधी० एण्ड कम्पनी, रेजिंग कन्ट्रैक्टर बनाम उनके कर्मकार।
10.	5/77	एल० 29012/4/77-डी० 111(बी) तारीख 5-2-77	आई० डी० सी० आफ० उड़ीसा की डुंगरी चूना पत्थर खान के श्री डी० आर० तुली, रेजिंग कन्ट्रैक्टर बनाम उनके कर्मकार।
11.	6/77	एल० 29012/2/77-डी० 4(बी) तारीख 5-2-77	आई० डी० सी० आफ० उड़ीसा लिमिटेड की डुंगरी चूना पत्थर खान के श्री एस० एम० अग्रवाल, रेजिंग कन्ट्रैक्टर बनाम उनके कर्मकार।
12.	7/77	एल० 29011/25/76-डी० 111(बी) तारीख 22-6-77	श्री नन्दादुलाल गंगोत्री की माहुलबर ग्राफेन खान का प्रबंधतंत्र बनाम उनके कर्मकार।
13.	8/77	एल० 29011/29/77-डी० 111(बी) तारीख 4-10-77	मैसर्स फैरो ऐलायस कारपोरेशन लिमिटेड, हाबगढ़ किओनझार बनाम उनके कर्मकार।
14.	1/77 (36क)	एल० 26012/1/77-डी० 111(बी)/डी-iv (बी०) तारीख 20-9-1977	मैसर्स माइनिंग ट्रांसपोर्टिंग कम्पनी, कन्ट्रैक्टर, डाकघर बारबिल, जिला किओनझार, बनाम उनके कर्मकार।
15.	9/77	एल० 42011(23)/76-डी-2(बी) तारीख 26-12-77	भारतीय खाद्य निगम, उड़ीसा क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर का प्रबंधतंत्र बनाम उनके कर्मकार।
16.	1/78	एल० 24012/1/77-डी० 4(बी) तारीख 16-3-78	कोल फील्डस लिमिटेड, तलचार, धेनकनाल, का प्रबंधतंत्र बनाम उनके कर्मकार।

[सं० एस० 11025/1/78-डी० 4(बी)]
भूपेन्द्र नाथ, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 6th May, 1978.

S.O.1631—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri B.K. Behera, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar ;

And Whereas the services of the said Shri Behera are no longer available ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7-A and Sub-section (1) of Section 338 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M.V. Gangaraju shall be the Presiding Officer with headquarters at Bhubaneswar and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before said Shri B.K. Behera and transfers the same to Shri Gangaraju, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Case No.	No. and date of the order	Name of the parties
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	4/75	F. No. L-26012/8/75-D-IV(B) dated 13-8-75	M/s. Modern Construction Concern, Contractors under the M/s. Orissa Mineral Development Co., P.O. Barbil. vrs. Their workmen.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	9/75	L-26012/13/75-D-IV(B) dated 13-11-75	Supdt.-in-charge, Rourkela Steel Plant, of Hindustan Steel Ltd., P.O. Rourkela. vrs. Their workmen.
3.	3/76	17011/13/71-LR-I dated 6-1-76	National Insurance Co. Ltd. Calcutta vrs. Their workmen. Shri D.S. Das
4.	6/76	L-26012(3)/76-D-IV(B) dated 22-9-76	Management of Rourkela Steel Plant, of Hindustan Steel Ltd., Rourkela. vrs. Their workmen.
5.	7/76	L-38012(4)/75-D-IV(A) dated 18-10-76	Management of Paradip Port Trust, Paradip Distt. Cuttack vrs. Their workmen.
6.	1/77	L-26012(16)/76-D-IV(B) dated 20-1-77	Management of Daitari Iron Ore Project of Orissa Mining Corpn., P.O. Talpada, Distt. Keonjhar vrs. Their workmen.
7.	2/77	L-29012(5)/77-D-III(B) dated 5-2-77	Shri L.R. Pradhan, Raising Contractor of Dungri Limestone Mines of I.D.C. of Orissa Ltd., vrs. Its workmen.
8.	3/77	L-29012(1)/77-D-III(B) dated 5-2-77	Bridge Building Constructor, Raising Contractors of Dungri Lime Stone Mines of M/s. I.D.C. of Orissa Ltd., vrs. Its workmen.
9.	4/77	L-29012(6)/77-D-DIII(B) dated 5-2-77	M/s. G.R. Padhi & Co., Raising Contractor of Dungri Lime Stone Mines of I.D.C. of Orissa Ltd., vrs. Its workmen.
10.	5/77	L-29012(4)/77-D-III (B) dated 5-2-77	Shri D.R. Tuli, Raising Contractor of Dungri Lime Stone Mines of I.D.C. of Orissa vrs. Its workmen.
11.	6/77	L-29012(2)/77-D-IV(B) dated 5-2-77	Shri S.M. Agarwalla, Raising Contractor of Dungri Lime Stone Mines of I.D.C. of Orissa vrs. Its workmen.
12.	7/77	L-29011/25/76-D-III(B) dated 22-6-77	Management of Mahulber of Gravel Mine of Shri Nanda Dulal Ganguly vrs. Its workmen.
13.	8/77	L-29011/29/77-D-III(B) dated 4-10-77	Boula Chromite Mines i.e. M/s. Ferro Alloys Corporation Ltd., Hadgarh, Keonjhar. vrs. Its workmen.
14.	1/77 (36-A)	L-26012/1/76-D-III(B)/DIV(B) dated 20-9-77	M/s Mining Transporting Company, Contractor, P.O. Barbil, Distt. Keonjhar. vrs. Its workmen.
15.	9/77	L-42011(23)/76-D-II(B) dated 26-12-77	Management of the Food Corporation of India, Orissa Region, Regional Office, Bhubaneswar. vrs. Its workmen.
16.	1/78	L-24012(1)/77-D-IV(B) dated 16-3-78	Management of Coalfields Limited, Talcher, Dhenkana vrs. Its workmen.

[No. S-11025(1)/78-D-IV(B)]
BHUPENDRA NATH, Desk Officer.

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1978

का०आ० 1632.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० गोपाला चारलू होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र की बैंक की सत्तेनापल्ले शाखा के रायाड़िया श्री एस० श्रीआमुलु की तारीख 11-5-76 से होने वाली एक वेतन-वृद्धि रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[स० एल-12012/17/77-डी-2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 25th February, 1978

S.O. 1632.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7-A read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri M. Gopala Charlu with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India in stopping one increment due to Shri S. Sreeyamulu Cashier at Cattenpapple Branch of the Bank on 11-5-1976 is justified ? If not to what relief is the workman entitled ?

[F. No. L-12012/17/77-D.II.A.]

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1978

का०आ० 1633.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम०-गोपाला-चारलू होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र की बैंक की हैदराबाद शाखा के प्रधानलिपिक श्री पी० विश्वनाथन् को 29-11-69 से प्रधान लिपिक के रूप में ज्येष्ठता न देने तथा परिणामस्वरूप विशेष सहायक के रूप में प्रोन्नति न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/114/77-डी-II(ए)]

ORDER

New Delhi, the 20th March, 1978

S.O. 1633.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relaion to the management of the State Bank of Hyderabad and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed :

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal the Presiding Officer of which shall be Shri M. Gopalacharlu with Headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Central Govt. Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the State Bank of Hyderabad in denying seniority as Head Clerk from 29-11-69 and consequent promotion as Special Assistant to Shri P. Vishwanathan, Head Clerk Hyderabad Branch of the Bank is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[F. No. L-12012/114/77-D. II. A.]

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1978

का०आ० 1634.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कर्नाटक बैंक लिमिटेड, मंगलौर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत. केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस०एल०एफ० अलबेरिस होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कर्नाटक बैंक लिमिटेड के मंगलौर स्थित मुख्यालय के प्रबन्धतंत्र को श्री बी० राजेश मल्लागुडा शाखा में अटेन्डर को 30-8-76 से सेवा से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[स० एल-12012/2/78-डी०-II(ए)]

ORDER

New Delhi, the 28th March, 1978

S.O. 1634.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Karnataka Bank Ltd. Man-

galore and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7-A read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal the Presiding Officer of which shall be Shri S.L.F. Alveres with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Bangalore.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Karnataka Bank Limited H. O. Mangalore in dismissing Shri B. Rajesh Attender Mannagudda Branch from service with effect from 30-8-1976 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[F. No. L-12012/2/78-D. II. A.]

आदेश

का०आ० 1635.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मद्रास के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के समक्ष लम्बित है;

और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया स्टाफ यूनियन के महामंत्री से विवाद की कार्यवाही को उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई से मद्रास स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

और सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास का प्रबन्धतंत्र भी मद्रास में स्थित है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई से वापिस लेती है और उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को स्थानान्तरित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० सेल्वारत्नम होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और यह निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मद्रास और आगे कार्यवाही उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे स्थानान्तरित की जाए और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा।

अनुसूची

"क्या सैंट्रल बैंक आफ इंडिया और आल इंडिया सैंट्रल बैंक इम्पलाईज फेडरेशन के बीच 23-12-71 को हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसरण में श्री जे० के० रामप्रसाद, विशेष सहायक पिछली तारीख से स्थायी होने और परिणाम स्वरूप पदोन्नति के हकदार हैं और यदि हां तो वह पिछली किस तारीख से स्थायी होने और किस तारीख से अधिकारी के रूप में पदोन्नति के हकदार है ?"

[सं० एल-12012/84/77-डी-2ए]

आर० पी० नरूला, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1635.—Whereas the industrial dispute existing between the employers in relation to the management of the Central Bank of India, Madras and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Central Government Industrial Tribunal, Bombay;

And whereas a proposal has been received from the General Secretary, Central Bank of India Staff Union, Madras representing the workman for transfer of the proceedings in the dispute from the said Central Government Industrial Tribunal, Bombay to a Central Government Industrial Tribunal at Madras;

And whereas the management of the Central Bank of India, Regional Office, Madras is also located at Madras;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33-B of the Industrial Dispute Act, 1947 the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from the Central Government Industrial Tribunal, Bombay and transfers the same to the Central Government Industrial Tribunal presided over by Shri K. Salvaratnam with headquarters at Madras which has been constituted into a Central Government Industrial Tribunal under section 7A of the Industrial Disputes Act and directs that the said Central Government Industrial Tribunal, Madras shall proceed with the same proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to Law.

SCHEDULE

"Whether Shri J. K. Ramaprasad, Special Assistant is entitled to pre-dated confirmation and consequential promotion in pursuance of the Bipartite Settlement signed on 23-12-71 between the Central Bank of India and the All India Central Bank Employees Federation and if so from what date he is entitled to pre-dated confirmation and from what date is he entitled to promotion as Officer ?"

[F. No. L-12012/84/77-D.II.A.]

New Delhi, the 24th May, 1978

S.O. 1636.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri K. P. Narayana Rao the Central Government Industrial Tribunal Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Andhra Bank Limited Hyderabad and their workmen over the dismissal from service of Shri P. Yellayya Peon Penamaluru, Branch which was received by the Central Government on the 8-5-1978.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 1 of 1977

BETWEEN

Workmen of Andhra Bank Limited, Penamaluru.

AND

Management of Andhra Bank Limited, Hyderabad.

APPEARANCES :

Sri V. Jagannadha Rao, Advocate for Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi through Order No. L-12012/175/76-D.II.A., dated 18-3-1977 referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947 tht following dispute existing between the employers in relation to the Management of Andhra Bank Limited, Penamaluru, Krishna District and their workmen to this Tribunal for adjudication :—

Whether the action of the Management of Andhra Bank Ltd., in dismissing Sri P. Yellayya Peon at Penamaluru from service with effect from 9-7-76 is justified ?

If not, to what relief is the workmen entitled ?

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 1 of 1977 and notices were ordered to be issued to both the parties.

3. On behalf of the Workmen, a claims statement was filed by the Andhra Bank Employees' Association contending as follows :—The Workman by name Yellayya was a Peon Working in the Penamaluru Branch of the Andhra Bank Ltd. He always maintained a clean record of service

and enjoyed the confidence and appreciation of his superiors. At one stage of his service he had to proceed on leave frequently on account of ill-health. He never caused inconvenience to the Branch or to the Agent. He was attending to the personal work of the Agent entrusted to him now and then. But when on one occasion Yellayya expressed his inability to oblige the Agent in this regard on account of indisposition the Agent became annoyed and started teasing and harassing the workman. In this unpleasant situation Yellayya applied for leave on 17-2-75. On the next day he remained at home as he was unwell and sent a Savings Bank withdrawal Cheque for Rs. 50.00 through his daughter to the Branch. The Agent refused to honour the cheque on the ground that the signature did not tally with the Specimen Signature. Hence Yellayya himself with some difficulty managed to go to the Branch for collecting the money. He requested the Agent to honour the cheque as he was in dire need of money to meet his medical expenses. But the Agent did not relent. Yellayya left the Branch intending to report the matter to the higher authorities. But to his dismay Yellayya received a show-cause notice dated 4-3-1975 from the Central Office alleging that on 18-2-1975 he had gone to the Branch in a drunken state and abused the Agent in filthy language as the Agent had refused to honour the cheque and also that Yellayya was a chronic absentee. Yellayya denied these charges. Subsequently charges were framed against Yellayya and he was directed to report for an enquiry into the same. Sri B. Ranga Rao was appointed as Enquiry Officer and Sri D. S. Murthy as the Management's representative in the Enquiry proceedings. In the course of the evidence before the Enquiry Officer the Agent stated that Yellayya was very irregular in his attendance. It was represented by the Workmen's representative that no Memos were issued to Yellayya in that connection. At that stage the enquiry was postponed. Subsequently, within a span of eight days from 15-7-1975 to 23-7-1975 three Memos were issued to Yellayya on flimsy grounds to harass him. Yellayya submitted his explanation to those Memos on 6-10-1975. On 21-10-1975 Yellayya received another Memo stating that the enquiry would be conducted into those charges. During that period the office bearers of the Association felt that justice would be denied to Yellayya in the enquiry and made a representation for change of the Enquiry Officer and the Management's representative. The Enquiry was adjourned to 26-12-1975 changing the Enquiry Officer and the Management's representative. The enquiry was conducted from 26-12-1975 to 28-12-1975 and was adjourned to 22-3-1976. Though a request for a further adjournment was made on the ground that the Workmen's representative was pre-occupied with the Union's work, the enquiry was conducted on 22-3-1976 and 23-3-1976 in the absence of the workmen's representative and without affording an opportunity to Yellayya to defend himself. The statements of the Management's witnesses and that of Yellayya were recorded. Yellayya expressed his inability to cross examine the Management's witnesses. The enquiry was adjourned without mentioning the date. Thereafter Yellayya did not hear again from the Enquiry Officer about the next date. He was not given an opportunity to cross examine the Management's witnesses or to produce witnesses in support of his defence. On 19-4-1976 a communication was received from the Enquiry Officer stating that the enquiry was concluded. The Employees' Association lodged a protest contending that the enquiry was not conducted in accordance with the principles of natural justice. There was no response to that letter from the Management or from the Enquiry Officer. Thereafter the Management issued a notice dated 16-6-1975 directing Yellayya to show cause why he should not be dismissed from service as the charges stood proved. But the written representation submitted by Yellayya did not carry any weight with the authorities. Yellayya was dismissed from service through a letter of the Central Office dated 10-9-1976. Reasonable opportunity was not given to Yellayya to defend himself properly in accordance with the principles of natural justice. The order of dismissal is arbitrary and it is based on improper and incomplete enquiry. The charges are devoid of substance. Clubbing of charges is irregular. The irregularities mentioned in the chages cannot be construed as misconduct. The charge that Yellayya had entered the Branch in a drunken state and abused the Agent cannot be deemed to have been proved since Yellayya was not submitted to medical test. This is a clear case of victimisation. It is therefore requested that Yellayya might be ordered to be reinstated in service with immediate effect and that he be paid back wages.

4. On behalf of the Management of the Bank a counter and an additional reply statement were filed contending as follows :—Yellayya was appointed on 1-4-1957 as Peon in the Penamaluru Branch of the Bank. He was charge sheeted on 4-3-1975 for misconduct under clauses 19-5 (c) and 19.7 of the Bi-partite Settlement. He submitted a reply dated 22-3-1975 refuting the charges. The management was not satisfied with the reply and decided to hold a domestic enquiry. The date of enquiry was intimated to the workman. The enquiry was adjourned at the request of the Employees' Association on nine occasions and at the request of the Management's representative only on two occasions. The workman and his representative made efforts to get the enquiry postponed on some pretext or other. Finally at the request of the Employees' Association the Enquiry Officer was changed. The enquiry proceedings were held by the new Enquiry Officer Sri N. Gopalakrishna from 26-12-1975 to 28-12-1975 when the Workmen's representative Sri O. P. Ranga Rao obtained an adjournment for two hours on the ground that he had received a phone call stating that his sister was in a serious condition. He however did not turn up as promised. Hence the Enquiry Officer adjourned the proceedings to 7-1-1976 and from that date again to 3-2-1976 at the request of the Employees' Association. From 3-2-1976 the enquiry was once against adjourned to 16-2-1976 inspite of the strong protest of the Management's representative. On 16-2-1976 Yellayya once again sought for an adjournment on the ground that his representative had not turn up. Inspite of the opposition of the Management's representative the enquiry was adjourned to 4-3-1976 since Yellayya had stated that on the next day of hearing he would definitely go on with the case even if his representative did not turn up. Once again from 4-3-1976 the enquiry was adjourned to 16-3-1976 and from that date again to 22-3-1976. On that day Yellayya appeared before the Enquiry Officer and took part in the proceedings. He did not put forth any request for an adjournment on the ground that his representative was not present. On the other hand he took part in the proceedings on 22-3-1976 and also on 23-3-1976. A copy of the enquiry proceedings was sent to the General Secretary of the Employees' Association representing the workman to enable him to submit its arguments. It is therefore clear that the Enquiry Officer acted judicially and took every care to ensure that reasonable opportunity was given to the charged employee. From the beginning the charged employee had been causing obstruction to the progress of the enquiry. Every effort was made to suppress the evidence on behalf of the Management. It is not true to say that the principles of natural justice were violated. The Management applied its mind to the enquiry report and after taking into consideration the gravity of the misconduct the Management was left with no alternative except to dismiss Yellayya. Hence the claim is liable to be rejected.

5. On 1-12-1977 I passed orders on the preliminary issue relating to the validity of the domestic enquiry and the sustainability of the findings recorded therein. It was held that the domestic enquiry was conducted in accordance with the principles of natural justice and without bias and that the findings recorded at the domestic enquiry could not be said to be perverse or that they were not based on prima-facie evidence.

6. Thereafter the matter was adjourned to another date to enable the parties to adduce evidence so that the correctness of the findings recorded at the domestic enquiry might be reappraised and so that the adequacy of the punishment imposed might also be considered. The charge sheeted employee was examined as W.W.1 and the Agent of the Bank, who was working at Penamaluru Branch, when W.W.1's services were terminated was examined as M.W.1. In addition to Exs. M1 and M2, which were already marked at the time of the consideration of the preliminary question, Ex. M3 was also marked on behalf of the Management of the Bank. No exhibits were marked for the workmen.

7. As mentioned by me in paragraph 7 of my order dated 1-12-1977, 4 charges were framed against W.W.1 and the domestic enquiry was conducted with reference

to those charges. Charge No. 1 was that W.W.1 was in the habit of absenting himself from duty without prior intimation or sanction, thereby causing inconvenience to the Branch. The finding recorded on this charge was that W.W.1 was guilty of misconduct under clause 19.7(a) of the bi-partite settlement, which deals with the minor misconduct of absenting without leave or overstaying the sanctioned leave without sufficient grounds. Charge No. 2 was that W.W.1 came to the office on 18-2-1975 on a drunken state and abused the Agent, namely, M.W.1 in filthy language for refusing to pass the withdrawn from his Savings Bank Account. The misconduct alleged would be grave misconduct within the meaning of clause 19.5(c) of the bi-partite settlement. The finding recorded with reference to this charge was that W.W.1 was not guilty since he could not be said to have been on duty on 18-2-1975. Charge No. 3 is that W.W.1 had almost exhausted his leave. This might amount to a minor misconduct under clause 19.7(b). The finding recorded was that W.W. 1 was irregular in attendance. Charge No. 4 was that W.W.1 did not submit an explanation to the 3 memos dated 15-7-1975, 16-7-1975 and 23-7-1975 issued to him for not performing his duties such as dusting the office counters, tables, chairs, telephones etc., and cleaning the office cycle regularly. This would amount to wilful insubordination or disobedience of lawful orders and as such it is gross misconduct within the meaning of clause 19.5(e). The finding recorded was that W.W.1 could not be held to be guilty. It is thus evident that the Enquiry Officer held that only two charges were proved against W.W.1 and both the charges relate to irregularities in attendance amounting to minor misconducts.

8. Clause 19.8 of the bi-partite settlement provides for punishments such as warning, censure, entering an adverse remark, and stoppage of increments, for minor misconducts. The punishment of dismissal cannot be imposed in a minor misconduct and it can be imposed only for a major misconduct as laid down in clause 19.6. Though the misconduct held to have been proved against W.W.1 at the domestic enquiry are minor misconducts, W.W.1 was dismissed from service. This single circumstance is sufficient to show that the punishment of dismissal imposed on W.W.1 for the two charges proved against him at the domestic enquiry is not warranted by the bi-partite settlement and that the said punishment should therefore be set aside forthwith.

9. But on behalf of the management the contention advanced is that, notwithstanding the findings recorded at the domestic enquiry relating to charge Nos. 2 and 4 it is open to the management even at this stage to contend that the said findings are incorrect and that even charge Nos. 2 and 4 relating to gross misconduct must be held to have been proved and further that the punishment of dismissal imposed on W.W.1 would therefore be sustainable. It is argued that a domestic enquiry is held only to satisfy the requirements of standing orders or the terms of settlement or the principles of natural justice and that it is always open to the management to request the Tribunal to reach conclusions different from those reached at the domestic enquiry on the basis of the same evidence. Assuming that this contention is correct it cannot be put forward in this case. That is because in the counter as well as in the additional reply statement no averment is made to the effect that the findings recorded by the Enquiry Officer regarding charge Nos. 2 and 4 are incorrect and that W.W.1 should have been found guilty on those two charges also. On the other hand the counter and the additional reply statement proceed on the footing that the domestic enquiry was conducted on proper lines and that the findings recorded therein are correct. It is therefore futile and too late in the day to contend that W.W. 1 should have been found guilty of gross misconduct under charge Nos. 2 and 4 also and that his dismissal from service is well merited.

10. On behalf of the management reliance is placed upon certain decisions namely TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE COMPANY LIMITED v. PRASAD (1969 II L.L.J. page 799 S.C.), UNION OF INDIA v. SARDAR BAHADUR (1972 I L.L.J. page 1 S.C.) and ASBESTOS CEMENT PRODUCTS LIMITED v. LABOUR COURT (1972 II A.P.I.I. page 76) for the proposition that in a domestic enquiry strict rules of evidence need not be followed and that it is enough if principles of natural justice are observed. These is no need to consider the principles laid down in these decisions since I have proceeded on the assumption that the findings recorded at the domestic enquiry are justifiable on the basis of the evidence adduced and since the management has not chosen to attack the findings.

11. One more decision relied upon by the management may be referred to. It was held in EAST INDIA HOTELS vs. THEIR WORKMEN (1974 Lab. I.C. Page 532-AIR 1974 S.C. 696) that, since the Tribunal in that case had proceeded on the basis that the enquiry was not vitiated but that it had power under Secion 11A of he Industrial Dispute Act to arrive at a different conclusion and awarded a different punishment, the award was liable to be set aside. But that decision has no application to this case since the domestic enquiry held therein was prior to the coming into operation of Section 11A. On their hand it has been laid down in THE WORKMEN OF M/S. FIRESTONE TYRE & RUBBER CO. OF INDIA (PVT.) LTD. v. MANAGEMENT (1973 II L.L.J. page 278 S.C.) held as follows :—

> "It has to be remembered that a Tribunal may hold that the punishment is not justified because the misconduct alleged and found proved is such that it does not warrant dismissal or discharge. The Tribunal may also hold that the order of discharge or dismissal is not justified because the alleged misconduct itself is not established by the evidence. To come to conclusion either way, the Tribunal will have to reappraise the evidence for itself. Ultimately it may hold that the misconduct itself is not proved or that the misconduct proved does not warrant the punishment of dismissal or discharge. In other words, the Tribunal may hold that the proved misconduct does not merit punishment by way of discharge or dismissal. It can, under such circumstances, award to the workman any lesser punishment instead. The power to interfere with the punishment and alter the same has been now conferred on the Tribunal by S. 11A*.

Hence the principle laid down in the above decision is not of any assistance to the management.

12. The two cases of irregular attendance covered by charge Nos. 1 and 3 and proved against W.W.1 amount only to a minor misconducts for which the prescribed punishment is not dismissal as already mentioned. Apart from that when once the absence is condoned by granting leave, it ceases to be a misconduct. This has been laid down in H. GOPAL v. STATE OF M.P. (1964 (Vol. 9) F.L.R. 93) and TATA IRON & STEEL CO. LTD., v. LATTU TURI (1967 (Vol. 14) F.L.R. 138). Hence even though there might be other types of misconducts, in addition to those enumerated in the standing orders, as laid down in NEW VICTORIA MILLS v. LABOUR COURTS (1970 Lab. I.C. page 428) and CENTRAL INDIA COAL FIELDS v. RAM BILAS SHOBNATH (1961 I L.L.J. 546 S.C.), it cannot by any stretch of imagination be said that, what is a minor misconduct can ever be regarded as gross misconduct. Moreover charge memos dated 15-7-1975, 16-7-1975 and 23-7-1975 were issued in quick succession to W.W.1 after the commencement of the domestic enquiry and these charge memos relate to W.W.1's failure to dust the office furniture etc., and clean the office cycle. In the first place no material is placed on record to show that dusting the office furniture etc., and cleaning the office cycle were part of W.W.1's duties. Secondly these charges memos were issued after the commencement of the domestic enquiry. Hence there is considerable force in the contention that W.W.1's dismissal smacks of victimisation. In any view of the matter the punishment of dismissal imposed on W.W.1 is therefore unsustainable and unjustified.

13. I am therefore of the opinion that reinstatement of W.W.1 should be ordered but subject to the condition that he shall be eligible only for half the back wages since one case of minor misconduct covered by charge No. 3 has been proved against him and since deprivation of the half of the back wages for the period of non-employment would be sufficient punishment for that minor misconduct. Moreover full back wages cannot at any rate be allowed since W.W.1 has not produced any evidence to the effect that he remained unemployed throughout the period from the date of his dismissal.

14. In the result an award is hereby passed directing the reinstatement of the workman concerned namely Sri P. Yellayya formerly Peon at Penamaluru Branch of the Andhra Bank Limited, but subject to the condition that he shall be entitled only to half the back wages from the date of his dismissal till the date of his reinstatement.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 31st March, 1978.

K. P. NARAYANA RAO, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses examined for Workmen.	Witnesses examined for Management.
W.W.1 : Sri P. Yellayya.	M.W. 1 : Sri K. Buchiramaiah

DOCUMENTS EXHIBITED FOR MANAGEMENT

Ex. M1 : Domestic Enquiry file of Sri P. Yellayya. By consent.

Ex. M2 : Domestic Enquiry file of Sri P. Yellayya, regarding various date wise correspondence. By consent.

Ex. M3 : Note dated 18-2-1975 of M.W.1 (K. Buchi- (Though M.W. 1, ramaiah).

DOCUMENTS EXHIBITED FOR WORKMAN

Nil

K. P. NARAYANA RAO, Presiding Officer

[F. No. L-12012/175/76-D.II.A]

R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1978

का० आ० 1637.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 447, तारीख 15 जनवरी, 1977 के अनुक्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 13 नवम्बर, 1977 से 30 जून, 1978 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से सबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे पद्धरण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के नवीकरण के लिए महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट का पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एम० 38017/3/76-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

New Delhi, the 24th May, 1978

S.O. 1637.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 447 dated 15th January, 1977, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the National Instruments Limited, Calcutta from the operation of the said Act for a further period from 13th November. 1977 upto and inclusive of the 30th June, 1978.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such from and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation of 1950 ;

2. Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other

Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of,—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue, to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) entry any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, book and other documents relating to the employment of person and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director-General, Employees' State Insurance Corporation for renewal of the exemption was received late. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/3/76-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th May, 1978

S.O. 1638.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. No. 975 dated the 17th March 1978, published at page 1008 in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (ii) dated April 1, 1978 in line seven of the said notification for Zinc Ministry Industry read Zinc Mining Industry.

[No. S-11017/3/78/DIA]

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

का०आ० 1639.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1954, दिनांक 30 जुलाई, 1960 द्वारा गठित श्रम न्यायालय संख्या 1, धनबाद, के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय मे एक रिक्ति हुई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार श्री एस०एन० जोहरी को 2 मई, 1978 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप मे नियुक्त करती है।

[फा०सं० एस-11020/2/78-डी-I(ए)(i)]

New Delhi, the 19th May, 1978

S.O. 1639.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court, No. 1 Dhanbad, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1954 dated the 30th July, 1960,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri S. N. Johri as the Presiding Officer of the said Labour Court, with effect from the 2-5-1978.

[No. S-11020/2/78/DI(A)(i)]

का० आ० 1640.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 103, दिनांक 11 जनवरी, 1960 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, धनबाद के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री एस०एन० जोहरी को 2 मई, 1978 से उक्त औद्योगिक अधिकरण को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा०सं० एस-11020/2/78-डी-I(ए) (ii)]

S.O. 1640.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment (Department of Labour and Employment) No. 103 dated the 11th January, 1960;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri S. N. Johri, as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal, with effect from the 2-5-1978.

[No. S-11020/2/78/DI(A)(ii)]

नई दिल्ली, 23 मई, 1978

का०आ० 1641.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (i) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3874, तारीख 21 नवम्बर, 1977 द्वारा कोयला उद्योग की उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 27 नवम्बर, 1977 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ. मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (i) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त उद्योग को प्रयोजनो के लिए 27 मई, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस-11019/9/68 डी० I (ए)]

एल० के० नारायणन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd May, 1978

S.O. 1641.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3874 dated the 21st November, 1977, the Coal Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 27th November, 1977;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 27th May, 1978.

[No. S-11017/9/78/DIA]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 24 मई, 1978

का० आ० 1642.—केन्द्रीय सरकार, धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के विनियम 11 के उप विनियम, (1), (2), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2197 तारीख 9 अगस्त, 1974 को अधिक्रांत करते हुए एक खनन परीक्षा बोर्ड गठित करती है, जिसका अध्यक्ष मुख्य खान निरीक्षक होगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उस बोर्ड की एक सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. मुख्य खान निरीक्षक (पदेन)	अध्यक्ष
2. श्री आई० एम० आगा, उप सलाहकार (पी) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो, मयूर भवन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।	सदस्य
3. श्री पी० डी० गुप्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम), सुवर्ण भवन ऊरगाम, डाक घर, कोलार गोल्ड फील्ड-563120, कर्नाटक राज्य	सदस्य
4. श्री आर० सी० बी० श्रीवास्तव, मुख्य खनन इंजीनियर, रुंगटा खान समूह, रुंगटा भवन, जाईबासा-833201 (बिहार)	सदस्य
5. श्री एम० ए० खान, उप महा प्रबंधक, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) डाक घर, घाट शिला जिला सिंहभूम (बिहार)	सदस्य
6 प्रोफेसर जी० एस० मरवाहू निदेशक, भारतीय खान विद्यालय, धनबाद-826004 (बिहार)	सदस्य

[सं० बी० 23012/2/77-एम० 1]

मनजीत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th May, 1978

S.O. 1642.—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1), (2), (3) and (4) of regulation 11 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2197 dated the 9th August, 1974, the Central Government hereby constitutes a Board of Mining Examinations, with the Chief Inspector of Mines as its Chairman and appoints the following persons as members of that Board for a period of three years, namely :—

1. Chief Inspector of Mines (Ex-officio)	Chairman
2. Shri I. M. Aga, Dy. Adviser (P), Government of India, Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhawan, Canaught Circus, New Delhi.	Member
3. Shri P. D. Gupta, Chairman-cum-Managing Director, Bharat Gold Mines Ltd., (Government of India Enterprise), Suvarna Bhavan, Oorgaum, P.O., Kolar Gold Field-563120, Karnataka State.	Member
4. Shri R.C.B. Shrivastava, Chief Mining Engineer, Rungta Group of Mines, "Rungta House", Chaibasa-833201 (Bihar)	Member
5. Shri M. A. Khan, Dy. General Manager, Hindustan Copper Ltd., (A Government of India Enterprise), Indian Copper Complex, P.O. Ghatsila, District Singhbhum, (Bihar).	
6. Prof. G. S. Marwaha, Director, Indian School of Mines, Dhanbad-826004 (Bihar).	Member

[No. V-23012/2/77-MI]

MANJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

का० आ० 1643.—केन्द्रीय सरकार समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन खानों में, जिन पर खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) के उपबन्ध लागू होते हैं, नियोजन को समुचित सरकार द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियां गठित करने के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट करती है, जो उसे इस संबंध में सलाह देंगी कि ऐसे रोजगारों में किस सीमा तक महिलाओं को नियोजित किया जाय ।

[सं० एस-42013/2/76-डब्ल्यू० सी०]

New Delhi, the 19th May, 1978

S.O. 1643.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments in Mines to which provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) apply for the purpose of constitution of one or more Advisory Committees by the appropriate Government to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments.

[No. S-42013/2/76-WC]

का०आ० 1644.—केन्द्रीय सरकार समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नियोजनों को समुचित सरकार द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियां गठित करने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करती है, जो उस उसे संबंध में सलाह देगी कि ऐसे रोजगारों में किस सीमा तक महिलाओं को नियोजित किया जाए।

[सं० एस० 42013/3/76-डब्ल्यू० सी०]
मीना गुप्ता, अवर सचिव

S.O. 1644.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments in the Employees Provident Fund Organisation, Coal Mines Provident Fund Organisation and Employees State Insurance Corporation for the purpose of constitution of one or more Advisory Committees by the appropriate Government to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments.

[No. S-42013/3/76-WC]
MEENA GUPTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978